Office of the Principal
GOVERNMENT COLLEGE – GURUR
(Affiliated by Hemchand Yadav Vishwavidyalaya Durg, Chhattisgarh, India)
DISTRICT – BALOD (Chhattisgarh), INDIA
Ph No : 07749 – 265461 Email : gururgovernmentcollege@gmail.com Website : gcgurur.org.in

HANDBOOK OF CODE OF CONDUCT FOR STUDENTS TEACHERS, PRINCIPAL AND NON-TEACHING STAFF

Drafted by Internal Quality Assurance Cell (IQAC)

Government College Gurur, District – Balod

Chhattisgarh, Bharat

Office of the Principal
GOVERNMENT COLLEGE – GURUR
(Affiliated by Hemchand Yadav Vishwavidyalaya Durg, Chhattisgarh, India)
DISTRICT – BALOD (Chhattisgarh), INDIA
Ph No : 07749 – 265461 Email : gururgovernmentcollege@gmail.com Website : gcgurur.org.in

HANDBOOK OF CODE OF CONDUCT FOR STUDENTS TEACHERS, PRINCIPAL AND NON-TEACHING STAFF

Government College Gurur
Distt. Balod (C.G.)

Drafted by Internal Quality Assurance Cell (IQAC)

Government College Gurur, District – Balod

Chhattisgarh, Bharat

Co-ordinator
IQAC
Government College Gurur
Dist. Balod (C.G.)

Principal
Government College Gurur
Dist. Balod (C.G.)

◄ INDEX ►

S.No.	Contents	Page No.
01	College Logo and Motto	03 - 06
02	Vision, Mission, Obejctive & Core values	07 - 08
03	Preamble	09
04	Code of conduct for Students	09 - 18
05	Code of conduct for Teachers	19 - 21
06	Code of conduct for Principal	21 - 22
07	Code of conduct for Non-Teaching Staff	22 - 23
08	प्रस्तावना	24
09	विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता	24 - 34
10	शिक्षकों के लिए आचार संहिता	35 - 37
11	प्राचार्य के लिए आचार संहिता	37 - 38
12	गैर–शिक्षण कर्मचारियों के लिए आचार संहिता	38 - 40
13	Reference	41

◄ महाविद्यालय का प्रतीक चिन्ह (College Logo) ►

प्रतीक चिन्ह का आकार (Size of logo) –

महाविद्यालय के प्रतीक चिन्ह का आकार वलयाकार है, जिसकी बाह्य वलय से केन्द्र की दूरी समान है।

(The shape of the logo of the college is circle, whose center distance from the outer ring is the same.)

केसरिया रंग की वलय (Saffron colored ring) –

''बलिदान का प्रतीक'' माना जाता है। राष्ट्र के प्रति शौर्य व निस्वार्थ भाव को प्रदर्शित करता है। साथ ही अहंकार से मुक्ति और त्याग का संदेश प्रदान कर सकारात्मक सृजन के लिए प्रेरित करता है।

(It is considered a "symbol of sacrifice". Shows bravery and selflessness towards the nation. At the same time, by providing the message of freedom from ego and sacrifice, it inspires for positive creation.)

नीला रंग की वलय (Blue ring) –

नीले रंग की वलय आकाश एवं समुद्र के समान धीर, वीर, गतिमान और जीवन दायिनी शक्ति को प्रदर्शित करता है। जो मानव में बल, पौरूष और वीरभाव से गतिशील जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान करती है। नीले रंग की वलय में सफेद रंग से अंकित महाविद्यालय का नाम व स्थापना वर्ष महाविद्यालय को शांति एवं सद्भावनापूर्ण सतत् गतिशील बने रहने का संदेश प्रदान करता है।

(The blue ring represents the courage, brave, moving and life-giving power like the sky and the sea. Which gives inspiration to live a dynamic life with strength, virility and heroism in human beings. The name and establishment year of the college inscribed in the English language with white color in the blue ring gives the message of peace and harmony to the college to remain in constant motion.)

श्वेत रंग की वलय (White ring) –

श्वेत रंग विद्या, पवित्रता, शुद्धता एवं शांति का प्रतिक है। इससे मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक स्वच्छता प्रकट होती है। विद्या हमें सांसारिक एवं संकुचित भावना से ऊपर उठाकर पवित्रता एवं सफलता की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करती है।

(White color symbolizes learning, purity, purity and peace. This manifests mental, intellectual and moral cleanliness. Vidya gives us the inspiration to move towards purity and success by lifting us above worldly and narrow sentiments.)

प्रकाशपुंज युक्त पीला आवरण (Light-rayed yellow cover) –

पीला रंग ज्ञान, अध्ययन, विद्वता, योग्यता, एकाग्रता और मानसिक तथा बौद्धिक उन्नति का प्रतिक है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश हमारे शरीर में उत्साह का संचार करता है वैसे ही पीले आवरण की प्रकाशपुंज निरंतर उत्साही बने रहने की ओर प्रेरित करती हैं।

(Yellow color symbolizes knowledge, study, scholarship, ability, concentration and mental and intellectual advancement. Just as the light of the sun transmits enthusiasm in our body, similarly the light beam of the yellow cover inspires us to remain energized continuously.)

जलता हुआ दीपक (Burning lamp) –

जलता हुआ दीपक ज्ञान–ज्योति व असीमित ऊर्जा का प्रतीक है यह अंधकार को दूर कर निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर होने व अपने ज्ञान के प्रकाश से समाज व राष्ट्र को प्रगतिशील रखने को प्रेरित करता है।

(The burning lamp is a symbol of knowledge-light and unlimited energy, it inspires to keep progress on the path of continuous progress by removing darkness and keeping the society and nation progressive with the light of its knowledge.)

खुली किताब (Open book) –

प्रतीक चिन्ह के केन्द्र में स्थित खुली किताब हमें प्रेरित करता है कि निरंतर अध्ययन से ही सत्ज्ञान की प्राप्ति होती है। जीवन की सफलता, उन्नति व सद्जीवन के लिए सत्त अध्ययन की आवश्यकता होती है।

(The open book located in the center of the emblem inspires us that only through continuous study leads to the attainment of true knowledge. Continuous study is required for success, progress and good life in life.)

श्लोक ‘‘विद्या ददाति विनयम्’’ (The verse "Vidya Dadati Vinayam") –

महाविद्यालय के प्रतीक चिन्ह के मध्य में श्वेत रंग में आदर्श वाक्य ‘‘विद्या ददाति विनयम्’’ अंकित है। जिसका अर्थ विद्या विनय देती है अर्थात् विद्या से ही विनम्रता आती है, जिससे हमें योग्यता और धन की प्राप्ती होती है। धन से धर्म व सुख की प्राप्ति होती है। यह पक्ति हमें सुखी जीवन के लिए विद्या ग्रहण करने को प्रेरित करती है। जिसे हितोपदेश के श्लोक 06 से लिया गया है। यह महाविद्यालय का आदर्श वाक्य भी है।

(The motto "Vidya Dadati Vinayam" is inscribed in the middle of the emblem of the college. Which means that knowledge gives humility, that is, humility comes from learning, through which we get merit and wealth. Wealth leads to religion and happiness. This line inspires us to acquire knowledge for a happy life. Which has been taken from verse 06 of Hitopadesh. This is also the motto of the college.)

=====❁=====

(Motto)

विद्यां ददाति विनयं, विनयाद् याति पात्रताम्।
पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मं ततः सुखम्॥

English meaning:

VIDYA (Knowledge) gives humility, from humility comes eligibility, from eligibility (qualification) brings wealth, from wealth one attains righteousness and from righteousness one attains happiness.

History:

The motto of the college has been taken from verse 6 of the ethics "Hitopadesh". The author of Hitopadesh is "Narayan Pandit". Hitopadesh are didactic stories influenced by the Indian mind and environment. The basis of the composition of Hitopadesh is Panchatantra.

On the basis of the analysis of the evidence obtained from the stories, Dr. Fleet believes that its composition should be around the 11th century. The Nepali handwriting of Hitopdesh is found in 1373 AD. Vachaspati Gairola has considered its composition around the 14th century.

Arbudachal (Abu), Pataliputra, Ujjayini, Malwa, Hastinapur, Kanyakubja (Kannauj), Varanasi, Magadhdesh, Kalingadesh etc. are mentioned in the stories of Hitopadesh, in which the author and the origin of creation are influenced by these places.

Knowledge Required:

VIDYA means 'education and knowledge, science and skill', DADATI means 'giving', and VINIYAM means 'humility'. Vidya has inherent value, enlightening and enlightening as well as utility for life. It is disciplined devotion to the search for truth. It develops tolerance, open mind, freedom from prejudice and attitude for new ideas in human beings. To imbibe humility, reverence for ideas, kindness and charity in the heart, cultural understanding and harmonious coexistence, what we need is Vidya. A fruit tree bows in humility to its fruits, so a wise man is humble before others. In this way by acquiring knowledge with humility, we are able to eradicate evils like poverty, disease, ignorance, illiteracy, superstition, hatred, cruelty, injustice, fear and oppression from our society. As the civilized world progresses in pursuit of these goals, we must also walk shoulder to shoulder with the rest of the world. To achieve this sacred goal of learning, we need to work in this institution with humility and a sense of pride and commitment to acquire Vidya.

==========

आदर्श वाक्य (Motto)

विद्यां ददाति विनयं, विनयाद् याति पात्रताम्।
पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मं ततः सुखम्॥

हिन्दी भावार्थः

विद्या विनय देती है , विनय से पात्रता आती है , पात्रता (योग्यता) से धन आता है , धन से धर्म और धर्म से से सुख की प्राप्ति होती है।

इतिहासः

महाविद्यालय के आदर्श वाक्य को नीतिशास्त्र "हितोपदेश" के श्लोक 6 से लिया गया है। हितोपदेश के रचयिता "नारायण पण्डित" हैं। हितोपदेश भारतीय जन-मानस तथा परिवेश से प्रभावित उपदेशात्मक कथाएँ हैं। हितोपदेश की रचना का आधार पंचतन्त्र है।

कथाओं से प्राप्त साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर डा. फ्लीट कर मानना है कि इसकी रचना काल 11 वीं शताब्दी के आस-पास होना चाहिये। हितोपदेश का नेपाली हस्तलेख 1373 ई. का प्राप्त है। वाचस्पति गैरोला जी ने इसका रचनाकाल 14 वीं शती के आसपास माना है।

हितोपदेश की कथाओं में अर्बुदाचल (आबू) , पाटलिपुत्र, उज्जयिनी, मालवा, हस्तिनापुर, कान्यकुब्ज (कन्नौज), वाराणसी, मगधदेश, कलिंगदेश आदि स्थानों का उल्लेख है, जिसमें रचयिता तथा रचना की उद्गमभूमि इन्हीं स्थानों से प्रभावित है।

विद्या की आवश्यकता:

विद्या का अर्थ है 'शिक्षा और ज्ञान, विज्ञान और कौशल', ददाति का अर्थ है 'देना', और विनयम का अर्थ है ' विनम्रता'। विद्या निहित मूल्य, प्रबुद्ध और ज्ञानवर्धक के साथ ही जीवन के लिए उपयोगिता भी है। यह सत्य की खोज के लिए अनुशासित भक्ति है। यह मानव में सहिष्णुता , खुले दिमाग, पूर्वाग्रह से मुक्ति और नए विचारों के लिए दृष्टिकोण विकसित करता है। नम्रता , विचारों के प्रति श्रद्धा, हृदय में दया और दान, सांस्कृतिक समझ और सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व को आत्मसात करने के लिए, हमें जो चाहिए वह है विद्या। फलदार वृक्ष अपने फलों रूपी नम्रता से झुकता है , वैसे ही ज्ञानवान व्यक्ति भी दूसरों के सामने विनम्र रहता है। इस प्रकार विनम्रता से विद्या प्राप्त कर हम अपने समाज से गरीबी , बीमारी, अज्ञानता, निरक्षरता, अंधविश्वास, घृणा, क्रूरता, अन्याय, भय और उत्पीड़न जैसी बुराइयों को मिटाने में सक्षम होते हैं। जैसे-जैसे सभ्य दुनिया इन लक्ष्यों की खोज में आगे बढ़ती जा रही है , हमें भी बाकी दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहिए। विद्या के इस पवित्र लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में हमें विनम्रता के साथ इस संस्था में काम करने व विद्या अर्जन के लिए गर्व की भावना और प्रतिबद्धता की आवश्यकता है।

=====❁❁=====

VISION, MISSION, OBJECTIVE & CORE VALUES OF THE COLLEGE

Vision

To become a valuable institution to produce value-based leaders at the national and international position with outcome-oriented learning and research according to social needs.

(सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार परिणामोन्मुखी शिक्षा और अनुसंधान के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मूल्य-आधारित लीडरों को तैयार करने के लिए एक मूल्यवान संस्थान बनना।)

Mission

01. Aspire to translate collective dreams of the Community of the region in to reality.
    (क्षेत्र के समुदाय के सामूहिक सपनों को हकीकत में बदलने की आकांक्षा।)
02. Create, disseminate and advance knowledge, through instructional and Inter disciplinary and collaborative researches.
    (निर्देशात्मक और अंतर-अनुशासनात्मक और सहयोगी शोधों के माध्यम से ज्ञान का सृजन , प्रसार और उसे आगे बढ़ाना।)
03. Educate and train the Human Resource persons for the development of the State of Chhattisgarh.
    (छत्तीसगढ़ राज्य के विकास के लिए मानव संसाधन व्यक्तियों को शिक्षित और प्रशिक्षित करना।)
04. To advancement of intellectual, academic, cultural and natural resource development for Socio- economic development of the region.
    (क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए बौद्धिक , शैक्षणिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों के विकास को बढ़ावा देना।)
05. Appropriate measures to promote quality education in the college.
    (महाविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उचित उपाय।)

Objective

01. To promote academic programmes relevant to socio-economic need of the nation.
    राष्ट्र की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप प्रासंगिक अकादमिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहन।
02. To promote networking with various centers / departments and labs around the country.
    राष्ट्र की विभिन्न संस्थाओं व प्रयोगशालाओं के साथ संबंध बनायें रखना ।
03. To promote skill oriented programmes.
    विभिन्न क्षेत्रों में कौशालोंमुख कार्यक्रमों को विकसित करना ।
04. To enhance the Quality of the learning and teaching process at U.G. and P.G. level.
    स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरपर अध्ययन एवं अध्यापन की गुणवत्ता को बढ़ाना ।
05. To bring forward the inherent talents of students and encourage creativity.
    विद्यार्थियोंकी छुपी हुई प्रतिभा को बाहर लाना तथा सिखने हेतु रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करना ।
06. To develop awareness towards social and environmental problems.
    सामाजिक एवं पर्यावरणीय समस्याओं के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना ।

Core Values

- Unity and Integrity (एकता और अखंडता)
- Love and Peace for Everyone (सबके लिए प्यार और शांति)
- Learning (सीखना)
- Quality (गुणवत्ता)
- Team Spirit (टीम भावना)
- Responsibility (जिम्मेदारी)
- Dedication (समर्पण)
- Mutual Respect (आपसी सम्मान)
- Transparency (पारदर्शिता)
- Optimism (आशावाद)
- Continuous Improvement (निरंतर सुधार)

- Students are of primary concern in our Institution.
  (हमारी संस्था में छात्र प्राथमिक चिन्तन के पात्र है।)
- We religiously follow integrity, civility, chivalry and honesty.
  (हम धार्मिक रूप से अखंडता, सभ्यता, शिष्टता और सत्यता का पालन करते है।)
- We pursue excellence with righteousness.
  (हम प्रामाणिकता से श्रेष्ठता का अनुसरण करते है।)
- We appreciate and propagate equality and unity in diversity.
  (हम विविधता में समानता और एकता की सराहना और प्रचार करते है।)
- We Support and promote creativity, enquiry, critical and scientific thinking.
  (हम रचनात्मकता, समालोचनात्मक तथा वैज्ञानिक सोच का प्रवर्तन और समर्थन करते है।)
- We follow the best methods of interactive teaching for better academics.
  (हम संवादात्मक शिक्षण का पालन छात्रों के बेहतर शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए करते है।)
- We aim at building a future generation of responsible citizens for a better India.
  (हमारा उद्देश्य जिम्मेदार भावी पीढ़ी का निर्माण है एक बेहतर भारत के लिए।)

HANDBOOK OF CODE OF CONDUCT FOR STUDENTS TEACHERS, PRINCIPAL AND NON-TEACHING STAFF

01. PREAMBLE

This Handbook indicates the standard procedures and practices of Government College Gurur (hereinafter referred to as the college) for all students, teachers, Principal Officials & Support Staff associated with the college. All students must know that it is mandatory for them to abide by this code of conduct (hereinafter referred to as the code) and the rights, responsibilities including the restrictions attached to it. This College's endeavor of laying out this Code is democratic, meticulous, efficient and swift to facilitate a system which promotes student growth through individual and collective responsibility. All Students, Teachers, Principal & Non-Teaching Staff are requested to be well conversant with this Code, Which can be also viewed on the official website of the College.

CODE OF CONDUCT FOR STUDENTS

02. JURISDICTION

2.1 The College shall have the jurisdiction over the conduct of the students associated / enrolled with the College and to take cognizance of all acts of misconduct including incidents of ragging or otherwise which may take place on the College campus or in connection with the College related activities and functions.

2.2 College may also exercise jurisdiction over conduct which violated the ideal student conduct and discipline as laid down in this Policy, Which Shall include:

- **a.** Any violated of the Sexual Harassment Policy of the College against Student of the College;
- **b.** Physical assault, threats of violence or conduct that threatens the health or safety of any person including other students of the College;
- **c.** Possession or use of weapons, explosives, or destructive on-campus and off campus and off-campus;
- **d.** Manufacture, sale, or distribution of prohibited drugs, alcohol etc on-campus and off-campus;
- **e.** Conduct which has a negative impact or constitutes a nuisance to members of the surrounding off-campus community.

The College, while determining whether or not to exercise such on-campus and off-campus jurisdiction in situations emerging hereinabove, the College shall consider the seriousness of the alleged offense, the risk of harm involved, whether the victim(s) are members of the campus community and/or actions, which occurred both on, and off-campus.

2.3 Academic Integrity

As a centre for scientific research and education, the college value academic integrity and is committed to fostering an intellectual and ethical environment based on the principal of academic integrity. Academic integrity encompasses honesty and responsibility and awareness relating to ethical standards for the conduct of research and scholarship. The

College believes that in all academic integrity is essential, the ideas and contributions of others must be appropriately acknowledged. Academic integrity is essential for the success of the College and its research missions, and hence, violations of academic integrity constitute a serious offence.

2.4 Scope and Purpose

A. This policy on academic integrity, which forms an integral part of the Code, applied to all students at the College and is require adhering to the said policy. The twin purposes of the Policy are.
   a. To clarify the principle of academic integrity.
   b. To provide examples of dishonest conduct and violations of academic integrity.

B. Failure to uphold these principles of academic integrity threatens both the reputation of the College and the value of the degrees awarded to its students.

C. Every member of the college community therefore bears a responsibility for ensuring that the highest standards of academic integrity are upheld. The principal of the academic integrity require that a student;
   a. Properly acknowledges and cites use of the ideas, results, material or words of others.
   b. Properly acknowledges all contributors to a given piece of work.
   c. Obtains all data or results by ethical means and reports them accurately without suppressing any results inconsistent with his or her interpretation or conclusions.

2.5 Violations of this policy include, but are not limited to:

I. Plagiarism means the use of material, ideas, figures, code or data as one's own, without appropriately acknowledging the original source. This may involve submission of material, verbatim or paraphrased, that is authored by another person or published earlier by oneself. Examples of plagiarism include:
   a. Reproducing, in whole or part, text/sentences from a report, book, thesis, publication or the internet.
   b. Reproducing one's own previously published data, illustrations, figures, images, or someone else's data etc.
   c. Taking material from class-notes or incorporating material from the internet graphs, drawings, photographs, diagrams, tables, spreadsheets, computer programs, or other non-textual material from other sources into one's class reports, presentations, manuscripts, research papers or thesis without proper attribution.
   d. Self plagiarism which constitutes copying verbatim from one's own earlier published work in a journal or conferences proceedings without appropriate citations.
   e. Submitting a purchased or downloaded term paper or other materials to satisfy a course requirement.
   f. Paraphrasing or changing an author's work's words or style without citation.

II. Cheating includes, but is not limited to:
   a. Copying during examinations, and copying of homework assignments, term papers, theses or manuscripts.
   b. Allowing or facilitating copying or writing a report or taking examination for someone else.
   c. Using unauthorized material, copying, collaborating or borrowing papers or material from various sources.

d. Fabricating (making up) or falsifying (manipulating) data and reporting them in thesis and publications.

e. Creating sources, or citations that do not exist

f. Altering previously evaluated and resubmitting the work for re-evaluation.

g. Signing another Student's name on an assignment, report, research paper, thesis or attendance sheet.

III. Conflict of Interest: A clash of personal or private interests with professional activities can lead to a potential conflict of interest, in diverse activities such as teaching, research, publication, working on committees, research funding and consultancy. It is necessary to protect actual professional independence, objectivity and commitment, and also to avoid an appearance of any impropriety arising from conflicts of interest.

IV. Guidelines for academic conduct are provided below to guard against negligence as well as deliberate dishonesty:

a. Use proper methodology for experiments and computational work. Accurately describe and compile data.

b. Carefully record and save primary and secondary data such as original pictures, instrument data readouts, laboratory notebooks, and computer folders. There should be minimal digital manipulation of images/photos; the original version should be saved for later scrutiny, if required, and the changes made should be clearly described.

c. Ensure robust reproducibility and statistical analysis of experiments and simulations. It is important to be truthful about the data and not to omit some data points to make an impressive figure (commonly known as "cherry picking").

d. Laboratory notes must be well maintained in bound notebooks with printed page numbers to enable checking later during publications or patenting. Date should be indicated on each page.

e. Write clearly in your own words. It is necessary to resist the temptation to "copy and paste" from the Internet or other sources for class assignments, manuscripts and thesis.

f. Give due credit to previous reports, methods, computer programs, etc. with appropriate citations.

g. Material taken from your own published work should also be cited; as mentioned above it will be considered self-plagiarism otherwise.

2.6 Individual and collective Responsibility:

A. Student Roles: Before submitting a thesis (Post Graduate Programmes or Ph.D.) to the department, the student is responsible for checking the thesis for plagiarism using software that is available on the web (see resources below). In addition, the student should give undertaking with regards to the academic guidelines of the College, has checked the document for plagiarism, and that the thesis is original work. A web-check does not necessarily rule out plagiarism. If a student observes or become aware of any violations of the academic Integrity policy he/she is strongly encouraged to report the misconduct in a timely manner.

B. Faculty Roles : Faculty members should ensure that proper methods are followed for experiments, computations and theoretical developments, and that data are properly recorded and saved for future reference. In addition, they should review manuscripts and theses carefully. Faculty members are also responsible for ensuring personal compliance with the above broad issues relating to academic integrity. Faculty member are expected to

inform students of the College's academic integrity policy within their specific courses, to ensure minimal academic dishonesty, and to respond appropriately and timely to violations of academic integrity.

C. College Roles : A breach of academic integrity is a serious offence with long lasting consequences for both the individual and the College and this can lead to various sanctions. In the case of a student the first violation of academic breach will lead to a warning and/or a disciplinary action.

03. ETHICS AND CONDUCT

3.1 This Code shall to all kinds of conduct of students that occurs on the College premises including in University sponsored activities, functions hosted by other recognized student organizations and any off-campus conduct that has or may have serious consequences of adverse impact on the College's Interests or reputation.

3.2 At the time of admission, each student must sign a statement accepting this Code and by giving an undertaking that;

- **a.** Student shall be regular and must complete his/her studies in the College.
- **b.** In the event, a student is forced to discontinue studies for any legitimate reason; such a student may be relieved from the College subject to written consent of the HOD & the Principal.
- **c.** As a result of such relieving, the student shall be required to clear pending hostel/ mess/ Library dues and if a student had joined the College on a scholarship, the said grant shall be revoked.

3.3 College believes in promoting a Safe and efficient climate by enforcing behavioral standards. All students must uphold academic integrity, respect all persons and their rights and property and safety of others; etc.

3.4 All Students must deter from indulging in any and all forms of misconduct including partaking in any activity off-campus which can affect the College's interests and reputation substantially. The various forms of such misconducts include:

- **A.** Any act of discrimination (Physical or verbal conduct) based on an individual's gender, caste, race, religion or religious beliefs, color, region, language, disability, or sexual orientation, marital or family status, physical or mental disability, gender identify, etc.
- **B.** Intentionally damaging or destroying College property or property of other students and/or faculty members.
- **C.** Any disruptive activity in a class room or in an event sponsored by the college.
- **D.** Unable to product the identity card, issued by the College, or refusing to product it on demand by campus security guards.
- **E.** Participating in activities including:
  - **a.** Organizing meetings and processions without permission from the College.
  - **b.** Accepting membership of religious or terrorist groups banned by the Government of India.
  - **c.** Unauthorized possession, carrying or use of any weapon, ammunition, explosives, or potential weapon, fireworks, contrary to law or policy.
  - **d.** Unauthorized possession or use of harmful chemical and banned drugs and Smoking on the campus of the College and possessing, consuming, distributing, selling of alcohol in the College.
  - **e.** Rash driving on the campus that may cause any inconvenience to others.

f. Not disclosing a pre-existing health condition, either physical or psychological which may cause hindrance to the academic progress.

g. Theft or unauthorized access to College resources.

h. Misbehavior at the time of student body elections or during any activity of the college.

i. Engaging in disorderly, lewd, or indecent conduct, including, but not limited to, creating unreasonable noise; pushing and shoving; acting or participating in a riot or group disruption at the College.

3.5 Students are expected not to interact, on behalf of the College, with media representatives or invite media persons on to the campus without the permission of the College authorities.

3.6 Students are not permitted to either audio or video record lectures in class rooms or actions of other students, faculty, or staff without prior permission.

3.7 Students are not permitted to provide audio and video clipping of any activity on the campus so media without prior permission.

3.8 Students are expected to use the social media carefully and responsibly. They cannot post derogatory comments about other individuals from the College on the social media or indulging from the College on the social media or indulging in any such related activities having grave ramifications on the reputation of the College.

3.9 Theft or abuse of the College computers and other electronic resources such as computer and electronic communications facilities, systems, and services which includes unauthorized entry, use, temper etc. of college property or facilities, private residences of staff / professors etc. offices, classrooms, computers networks, and other restricted facilities and interference with the work of others is punishable.

3.10 Damage to, or destruction of, any property of the College, or any property of others on the College premises.

3.11 Making a video/audio recording, taking photographs, or streaming audio/video of any person in a location where the person has a reasonable expectation of privacy, without that person's knowledge and express consent.

3.12 Indulging in any form of Harassment which is defined as a conduct that is severe and objectively, a conduct that is motivated on the basis of a person's race, color, national or ethnic origin, citizenship, sex, religion, age, sexual orientation, gender, gender identity, marital status, ancestry, physical or mental disability, medical condition.

04. BREACH OF CODE OF CONDUCT

If there is a case against a student for a possible breach of code of conduct, then a committee will be formed to recommend a suitable disciplinary action that shall inquire into the alleged violation and accordingly suggest the action to be taken against the said student. The committee may meet with the student to ascertain the misconduct and suggest one or more of the following disciplinary actions based on the nature of misconduct.

4.1 Warning- Indicating that the action of the said delinquent student was in violations of the Code and any further acts of misconduct shall result in severe disciplinary action.

4.2 Restrictions- Reprimanding and restricting access to various facilities on the campus for a specified period of time.

4.3 Community Service- For a specified period of time to be extended if need be. However, any future misconduct along with failure to comply with any conditions imposed may lead to serve disciplinary action, including suspension or expulsion.

4.4 Expulsion- Expulsion of a student from the College permanently, Indicating prohibition from entering the college premises or participating in any student related activities or campus residences etc.

4.5 Monetary Penalty- May also include suspension or forfeiture of scholarship/fellowship for a specific time period.

4.6 Suspension- A student may be suspended for a specific period of time which will entail prohibition on participating in student related activities, classes, programs etc. Additionally, the student will be forbidden to use various College facilities unless permission is obtained from the Competent Authority. Suspension may also follow by possible dismissal, along with the following additional penalties.

4.7 Ineligibility- Ineligibility to reapply for admission to the College for a period of three years, and withholding the grade card or certificate for the courses studies or work carried out.

05. ANTI-RAGGING

The College has a coherent and effective anti-ragging policy in place which is bases on the 'UGC' Regulation on Curbing the Menace of Ragging in Higher Educational Institutions, 2009 (hereinafter referred to as the 'UGC' Regulations); The UGC Regulations have been framed in view of the directions issued by the Hon'ble Supreme Court of India to prevent and prohibit ragging in all Indian Educational Institutions and Colleges. The said UGC Regulations shall apply mutatis mutandis to the College and the students.

5.1 Ragging constitutes one or more of the following acts:

- **a.** Any conduct by any student or students whether by words spoken or written or by an act which has the effect of teasing, treating or handling with rudeness any student;
- **b.** Indulging in rowdy or undisciplined activities by any student or students which causes or is likely to cause annoyance, hardship, physical or psychological harm or to raise fear or apprehension thereof in any other student;
- **c.** Asking any student to do any act which such student will not in the ordinary course do and which has the effect of causing or generating a sense of shame, or torment or embarrassment so as to adversely affect the physique or psyche of such a student;
- **d.** Any act by a senior student that prevents, disrupts or disturbs the regular academic activity of any student;
- **e.** Exploiting the services of a student for completing the academic tasks assigned to an individual or a group of students;
- **f.** Any act of financial extortion or forceful expenditure burden put on a student by other students;
- **g.** Any act of physical abuse including all servants of it: sexual abuse, stripping, forcing obscene and lewd acts, gestures, causing bodily harm or any other danger to health or person;
- **h.** Any act or abuse by spoken words, emails, post public insults which would also include deriving perverted pleasure, vicarious or sadistic thrill from actively or passively participating in the discomfiture to any other student;
- **i.** Any act that affects the mental health and self-confidence of any other student with or without an intent to derive a sadistic pleasure or showing off power or superiority by a student over any other student.

5.2 Anti-ragging committee

The Anti-Ragging Committee, as constitute by the Principal and headed by Students Affairs Advisors shall examine all complaints of anti-ragging and come out with recommendation based on the nature of the incident.

5.3 Anti-ragging squad

To render assistance to students, an Anti-Ragging squad, which is a smaller body, has also been constituted consisting of various members of the campus community. The said squad shall keep a vigil on ragging incidents taking place in the community and undertake patrolling functions. Students may note that the squad is active and alert at all times and are empowered to inspect places of potential ragging, and also make surprise raids in hostels and other hotspots in the College. The Squad can also investigate incidents of ragging and make recommendations to the Anti-Ragging Committee and shall work under the guidance of the Anti-Ragging Committee.

5.4. A student guilty by the committee will attract one or more of the following punishments, as imposed by the Anti-Ragging Committee:

- **a.** Suspension from attending classes and academic privileges.
- **b.** Withholding/withdrawing scholarship/fellowship and other benefits.
- **c.** Debarring from appearing in any test/ examination or other evaluation process.
- **d.** Withholding results.
- **e.** Debarring from undertaking nay collaborative work or attending national or international conferences/ symposia/meeting to present his/her research work.
- **f.** Suspension / expulsion from the hostels and mess.
- **g.** Cancellation of admission.
- **h.** Expulsion from the institution and consequent debarring from admission to any other institution for a specified period.

5.4.1 In cases where the persons committee or abetting the act of ragging are not identified, the College shall resort to collective punishment.

If need be, in view of the intensity of the act of ragging committed, a First Information Report (FIR) shall be filed by the Institute with the local police authorities.

The Anti-Ragging Committee of the Institute shall take an appropriate decision, including the imposition of punishment, depending on the facts and the nature and gravity of the incident of the ragging.

5.4.2 An Appeal against any of the orders of punishment enumerated above can be submitted to the Director of the Institute.

---

06. SEXUAL HARASSMENT

The College's Policy on prevention and prohibition of sexual harassment at workplace shall apply mutatis mutandis to the students of the Institute which can be accessed and reviewed by the students at gururgovermentcollege@gmail.com as per the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. Students should note that sexual misconduct or harassment encompasses a range of conduct, including but not limited to sexual

assault, unwanted touching or persistent unwelcome comments, e-mails, or pictures of an insulting or degrading sexual nature, which may constitute harassment, which shall depend of the circumstances of each case.

07. STUDENT GRIEVANCE PROCEDURE

Any Student of the College aggrieved by any acts of sexual harassment, misconduct or ragging as defined and summarized here in above can approach the student grievance redress cell at the College. Further, any student who is aware of any violations must report the same to the Cell. The Cell shall consist of members as appointed by the Principal. Said grievance must be in writing and should be made within 60 days from the day of the alleged violation. The Cell shall take cognizance of the grievance and inform the Committee formed to enforce this Code or the internal harassment complaints.

08. STUDENT PARTICIPATION IN GOVERNANCE

As Students are members of the College campus, they have a substantial interest in the governance of the College. The Code, policies and the varied procedures laid down herein intends that the principle of student involvement in governance in both administrative and academic areas is essential and it is pivotal that Students must be, at all junctures, be encouraged to put forth their views and advice, for an informed decision making. Student Participation is encouraged and must be strengthened through the involvement of students in all levels. Therefore, all students who are a part of the College and who are going to be enrolled in the college are advised to uphold the policy and inform the College of anti violations and assist individually and collectively to improve the quality and effectiveness of this Code and appended policies.

छ.ग. के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

सामान्य नियम –

छ.ग. के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा।

1. प्रत्येक विद्यार्थी शालीन वेशभूशा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूशा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा। साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधों को भी पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली–गलौच मारपीट या अग्रेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. महाविद्यालय को स्वच्छ बनाये रखने प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्त्यसन और मितव्यवी जीवन निर्वाह करेगा।
5. महाविद्यालय एवं छात्रावास सीमा में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित करेगा।
6. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवारों को गंदा करना सख्त मना है। विद्यार्थी को असामाजिक या गन्दी बातें लिखना मना है। विद्यार्थी को असामाजिक या अपाराधिक गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।

7. वह अपनी मांगे, प्रदर्शन तथा आंतक फैलाकर नहीं करेंगें, विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांग मनवाने के लिए राजनीति दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
8. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल एवं पॉलिथन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन संबंध नियम –

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी, एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करेगा, उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ–सुथरा रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा। उसे निर्धारित संस्था में ही पुस्तक प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दंड देना होगा।
4. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिगं की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम :–

1. विद्यार्थी को सूत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अव्यवस्थावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वच्छ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्रः–

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर कारवास की सजा या 25000रू. जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जावेगा।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में भुगतान नहीं करता तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपाएगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निस्रत कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गये आवेदन पत्र में उसका पालक/अभिभावक का घोषण पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

रैगिंग क्या है ?

रैगिंग के अंतर्गत :–

कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दे या अशिष्ट आचरण करना उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रिया कलापों में संलग्न जिसमें नए छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्रों को कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र/छात्रों सामान्यतया नहीं कर सकता/ सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो, अथवा जीवन के लिए खतरा हो।

छतीसगढ़ राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग अधिनियम 2002

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 (कर्नाटक अधिनियम नं 1, 1995), अनुच्छेद 2 (29) के अनुसार रैकिंग की परिभाषा इस प्रकार है– किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना, जो मानव–मर्यादा के खिलाफ हो या जो उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे यह हास्यापद हो जाए या डरा–धमकाकर गलत ढंग से रोककर गलत ढंग से बंद करके चोट पहुचाकर या उस पर अनुचित दबाव डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी,गलत अवरोध, गलत ढ़ंग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित भय दिखाकतर वैधानिक कार्य करने से मना करना।

रैंगिंग का स्वरूप :–

रैगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पाई जाती है –

स्पष्ट आदेश

1. वरिष्ठ छात्रों को सर कहने के लिए।
2. सामूहिक कवायद करने के लिए।
3. वरिष्ठों के क्लास नोट्स उतारने के लिए।
4. अनेक सौपें हुए कार्य करने के लिए।
5. वरिष्ठ के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए।
6. अश्लील प्रश्न पूछने या उनके उत्तर देने के लिए।
7. नये छात्रों को अपने सीधेपन के विपरीत आधात पहुंचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए।
8. शराब, उबलती हुई, आदि के लिए बाध्य करना।
9. कामुक संकेतार्थ वाले कार्य – समलैंगिक कार्य सहित करने के लिए बाध्य करना।
10. ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना, जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है।
11. नग्न करना, चुंबन लेना आदि।
12. अन्य अश्लीलताएं करना।

उपर्युक्त ये बिन्दुओं से यह विदित होता है कि प्रथम पांच को छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रूपों से युक्त है।

रैगिंग में लिप्त होन पर दिए जाने वाले दंड :–

1. प्रवेश निरस्त किया जाना।
2. कक्षा/ छात्रावास के निष्कासित किया जाना।
3. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
4. परीक्षा परिणाम रोकना।
5. परीक्षाओं से वंचित करना।
6. राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध।
7. संस्था से निष्कासित किया जाना।
8. आर्थिक दंड रू. 25000/– तक।

09. CODE OF CONDUCT FOR TEACHERS

The teachers of this College should follow the code of conduct laid down in Chhattisgarh Government Service Rules & Regulations as well as Guideline provide by UGC for College Teachers. As per UGC for College accepting teaching as profession presumes the commitment to conduct himself / herself in accordance with the ideals of the profession. A teacher is continually under the watch of students and the society at large. Therefore, every teacher must see that there is no clash between his principles and doings. The national ethics of education must be his/her own morals. The vital moral values underlying the code are concern, belief, honesty and regard, exemplifying those characteristics related to the teacher entrusted with social responsibility. A definitive code of conduct for teachers of our college incorporates the following:

9.1 professional, personal & social values

1. Teacher should be careful and dedicated to the education of the students. This approach must be aimed at towards the particular requirements of each student. Teacher should be diligent and committed and should be even ready to help out the students past class hours without desiring any remuneration.
2. Teacher shall not thwart students form conveying their viewpoints if it differs from Teacher's own views. The students should be encouraged. Teachers are supposed to recognize positive criticism from students.
3. Teacher must try to build up an educational environment. Equal treatment must be given out to all students irrespective of caste, creed, religion, gender or socio- economic status. There must not be any bias or malicious outlook cowards any of them.
4. Teacher's aim is supposed to be to motivate students to breed more awareness and extend a sense of inquiry in the quest of knowledge.
5. Teacher should inspire a scientific and democratic attitude among students, making them society oriented, loyal and open minded.
6. Teachers must abide by the philosophy of their profession and act in dignified manner. Teachers must maintain in their minds that society has trusted them with their children.

9.2 professional Expertise Development

1. Learning is a continuous process. It is essential that Teachers must always update themselves in their respective fields in order to upgrade themselves and their students. Teachers must also acquaint themselves with latest advancements, methodologies and relevant informations.
2. Teachers must apart from teaching, perform research & innovation for constant improvement and progress of subject knowledge. They should involve themselves in seminars and conferences and workshops for multi-disciplinary knowledge of academic topics.
3. Planning, developing, executing novel teaching techniques and strategies as well as curriculum improvement & planning for an advanced academic structure should be an essential part of Teachers' professional duties.
4. Teachers will have to carry out the college's educational responsibilities such as conducting admissions college seminars and conferences and workshops etc. They should also participate in co-curricular activities of the college like sports, extension

activities and cultural programmes. This shall help in creating a holistic development and an amiable relationship with the students.

9.3 Professional and Educational Integrity

1. Teachers must follow honesty in professional practices by truthfully representing the documents of their qualifications, experiences and other credentials.
2. Ethics must not be compromised in Research. Plagiarism is an immorality that cannot be accepted at any point. The aim of teachers should be to develop the quality of research and not adulterate or contaminate it with plagiarism.
3. There must be no conflict of interest between professional assignments and private works. Private tuitions and tutoring should be evaded as they reflect poorly on the value of college teaching.
4. Teachers must abide by the confidentiality of all informations regarding exam affairs as well as issues related with colleagues and students unless legally warranted.

9.4 Professional Alliances, Collaborations & Teamwork

1. Teachers should be polite and supportive towards their colleagues while helping them and sharing the tasks in a mutual manner.
2. Teachers should abstain from laying uncorroborated accusations against their colleagues to suit their selfish interests.
3. Teachers must fulfill their responsibilities according to the established rules described by the top authorities and also hold on to the terms & conditions of their contracts.
4. Teachers should desist from reacting to avoidable political interferences as these damage the sanctity and improvement of an educational organization.
5. Teachers must extend respect to the nonteaching staff. The decisions regarding the college must be done with consensus of all.
6. Teachers must hold periodical communications with the parents of the students for improving the progress of students.
7. Teachers must abstain from taking unnecessary long leaves and keep up regularity for even functioning of the college.

9.5 General Duties & Responsibilities

1. Teachers should teach the subjects assigned by the head of the department.
2. Teachers should complete the syllabus in time.
3. Tutor - Ward system must be effectively implemented. Teachers shall monitor the respective group of students who are attached to them.
4. Teachers should be good counselors and facilitators. They should help, guide, encourage and assist the students to ensure that the Teaching – Learning Process is effective and successful value based education must be their motto.
5. Teachers should maintain decorum both inside and outside the classroom and set a good example to the students.
6. Teachers should carry out other academic, co-curricular and organizational activities that may be assigned to them from time to time .
7. Teachers must report in time to duty as per the working hours and should be available in the campus during the working hours.
8. Prior written permission is required from the principal / at least a day in advance while availing casual leave.
9. Staff members are encouraged to write text books, publish articles in reputed journals and present papers in seminars and conferences.

10. Staff members are encouraged to take up research projects.
11. Staff members should also attend Faculty development programmes. Quality Improvement Programmes, etc to update their knowledge.
12. Staff members are encouraged to undergo practical Training in industry and can take consultancy Work as part of Industry institute interaction.
13. No teacher should involve himself herself in any act of moral turpitude on his her part which may cause impairment or bring discredit to the institution or management.
14. No teacher should involve himself or herself in any form of political activity inside or outside the campus.
15. Teachers should attend the college neatly and decently dressed.
16. No teacher shall send circulars distribute handbills to the staff, organize meetings in the campus without permission from the principal.
17. Heads of Departments must submit the Department's time table to the principal. Any change must also be reported to the principal.
18. Teachers are encouraged to conduct research on their topic of interest.
19. Teachers are expected to attend Department. Academic association meetings, seminars etc and also college functions Day and Republic day celebrations.
20. Teachers are expected to Volunteer, to take up extra classes for students of certificate, Diploma and other career oriented Programmes.
21. HODs are responsible to extract work form the Non- Teaching staff in keeping the Department clean and Tidy.

CODE OF CONDUCT FOR PRINCIPAL

10. CODE OF CONDUCT FOR PRINCIPAL

The principal of the college has to perform versatile roles and has joint responsibilities of sustaining, protecting, Guardianing, controlling, managing, adjudicating, defending, inspiring and motivating the students, Teachers, Non –Teaching staff in the college. Since principal is the academic and administrative head of the college, certain codes of ethics in his conduct as decreed by the UGC in accordance with the guidelines by MHRD (hereinafter referred to as the Ministry) as well as the rules and regulations by the government of Chhattisgarh. The salient and significant codes of conduct applicable to the principal of Government College Gurur (hereinafter referred to as the college) are postulated below:

1. To encourage and conserve the culture of inclusiveness with regards to imparting education in the college.
2. To shield the combined concerns of all sections of the college in order to make them perform unreservedly and offer their maximum for the organization development.
3. To ensure equivalent treatment to all the sections of the college without any discrimination.
4. To keep up the spirit of societal integrity for all the sections of the college irrespective of their caste, creed, race, sex and religious identity.
5. To build and uphold an unprejudiced gender neutral environment in the college so that genders enjoy equal opportunities.

6. To create and sustain requisite vigilance among all the sections of the college so that the probability of occurrence of sexual harassment becomes minimized and eventually eliminated.
7. To generate and promulgate the spirit of welfare within all the sections of human resources associated directly or indirectly with the college to develop mutual confidence amongst them.
8. To preserve and encourage scholarly activities in the college for exploration of new avenues of academic pursuits.
9. To build an atmosphere favorable for research oriented academic activities in the college to enhance its pool of knowledge.
10. To enforce discipline in the conduct and behavior of all the sections of the college and to uphold campus-tranquility essential for academics.
11. To encourage and continue the practice of extra-curricular activities amongst the students of the college for the promotion of social dynamism and cultural heritage.
12. To make an effort to maintain the serenity of the college surroundings so that educational values gradually and eventually prevail for best academic practices.
13. To promote and keep up amiable relationship of the college with the adjacent societies so as to ensure natural flourish of all the students of the college.
14. To make efforts for preserving enthusiasm of all the sections of the college so as to nurture and augment their capabilities.

As the academic head of the college, the principal should ensure the continuation of an academic atmosphere within the college and should put efforts for encouraging research activities. The principal must endeavor his /her best to fetch in ample infrastructural and financial support for the college. The principal should motivate and persuade the Teachers of the college to take up research projects, publish research papers, arrange for and participate in seminars/conferences/symposiums/ workshops.

CODE OF CONDUCT FOR NON-TEACHING STAFF

11. CODE OF CONDUCT FOR NON-TEACHING STAFF

11.1 General Duties

1. Non –Teaching staff functioning in the college office or departments should remain on duty during working hours.
2. Non –Teaching staff assigned to Laboratories should keep the labs clean.
3. Any Loss or damage to any article in the lab or class room should be reported to the HOD in writing immediately.
4. Non –Teaching staff, working in the lab, shall maintain a stock register for all the articles, equipments, chemicals, etc. It shall be submitted to the HOD and the principal and their signatures obtained.
5. Non - Teaching staff, will carry out their duties as instructed by the authorities to whom they are attached.
6. Non - Teaching staff shall not leave the college premises without permission during the working hours.
7. Non - Teaching staff should acquaint themselves with the college policies and adhere to them to their best ability.

8. Every Non –Teaching staff, should perform the duties assigned to them sincerely and diligently as well as with accountability.
9. Non –Teaching staff, should avail of leave with prior intimation to their reporting officer. In case of sudden emergency, information on their absence should be promptly forwarded to the college authority.
10. Non –Teaching staff, should not, on any account, undertake any other job within the stipulated office hours. Neither shall he engage himself in any trade or business within college premises.
11. Non –Teaching staff, should not hamper the functioning of the college by engaging themselves in political or anti-secular activities.
12. Non –Teaching staff, should not engage in remarks or behavior that might be considered disrespectful to their teaching colleagues or students.

11.2 Workplace conduct

1. Non –Teaching staff, should be punctual as their prior presence is required daily for the commencement and smooth functioning of college activities.
2. Non –Teaching staff should also be responsible for the proper use and maintenance of college equipments and furniture.
3. Non –Teaching staff must not be under the influence of drugs or alcohol during office hours.
4. Non- Teaching staff often has access to confidential information regarding examination matters and other matters relating to other staff, through official records. It is expected that they respect the confidentiality of such matters.
5. Non –Teaching staff should perform their duties with honesty and integrity. There should be no falsification of official documents entrusted to them.
6. Non –Teaching staff should show no discrimination on basis of gender, caste or religion.

11.3 Professional Relationship

1. Interactions between Non –Teaching staff and students are frequent as for example during counseling, admissions, disbursement of financial aid examinations and so on. On a regular basis the students come into contact with Non –Teaching staff in offices, libraries, laboratories. It is expected that they behave in helpful, friendly and patient manner towards the students.
2. Non –Teaching staff should give due respect to the decisions made by the college authorities. Any matter of contention should be settled amicably and not through antagonistic behaviour.
3. The Non –Teaching staff should consider the teaching staff as their colleagues and not as separate entities. It is the shared functioning that will generate a harmonious environment.
4. The Non –Teaching staff is the first to come into contact with the guardians of students as during examinations. They must keep in mind that their behavior will be considered to reflect that of the college. They should thus interact patiently and cooperate with the students and their parents.

01. प्रस्तावना

यह पुस्तिका महाविद्यालय से जुड़े सभी छात्रों, शिक्षकों, प्रधान अधिकारियों और सहायक कर्मचारियों के लिए शासकीय महाविद्यालय गुरुर (बाद में महाविद्यालय के रूप में संदर्भित) की मानक प्रक्रियाओं और प्रथाओं को इंगित करती है। सभी छात्रों को पता होना चाहिए कि उनके लिए इस आचार संहिता (बाद में कोड के रूप में संदर्भित) और इससे जुड़े प्रतिबंधों सहित अधिकारों, जिम्मेदारियों का पालन करना अनिवार्य है। इस कोड को तैयार करने का कॉलेज का प्रयास एक ऐसी प्रणाली को सुविधाजनक बनाने के लिए लोकतांत्रिक, सावधानीपूर्वक, कुशल और तेज है जो व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी के माध्यम से छात्र विकास को बढ़ावा देता है। सभी छात्रों, शिक्षकों, प्रधानाचार्य और गैर–शिक्षण कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे इस संहिता से अच्छी तरह परिचित हों, जिसे महाविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है।

विद्यार्थियों के लिए आचार संहिता

02. क्षेत्राधिकार

2.1 महाविद्यालय से जुड़े / नामांकित छात्रों के आचरण पर महाविद्यालय का अधिकार क्षेत्र होगा और रैगिंग या अन्यथा की घटनाओं सहित कदाचार के सभी कृत्यों का संज्ञान लेना होगा जो महाविद्यालय परिसर में या महाविद्यालय से संबंधित गतिविधियों और कार्य के संबंध में हो सकता है ।

2.2 महाविद्यालय इस नीति में निर्धारित आदर्श छात्र आचरण और अनुशासन का उल्लंघन करने वाले आचरण पर भी अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है, जिसमें शामिल होंगे:

- **a.** महाविद्यालय के छात्र के खिलाफ महाविद्यालय की यौन उत्पीड़न नीति का कोई भी उल्लंघन।
- **b.** शारीरिक हमला, हिंसा की धमकी या आचरण जो महाविद्यालय के अन्य छात्रों सहित किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य या सुरक्षा के लिए खतरा है।
- **c.** महाविद्यालय परिसर में या परिसर के बाहर हथियारों, विस्फोटकों, या विनाशकारी का कब्ज़ा या उपयोग।
- **d.** परिसर और परिसर के बाहर में प्रतिबंधित दवाओं, शराब आदि का निर्माण, बिक्री या वितरण।
- **e.** आचरण जिसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है या आसपास के परिसर से बाहर समुदाय के सदस्यों के लिए बाधा उत्पन्न करता है।

महाविद्यालय, यह निर्धारित करते समय कि इस तरह के परिसर में और परिसर से बाहर क्षेत्राधिकार का उपयोग यहां ऊपर उभरने वाली स्थितियों में करना है या नहीं, महाविद्यालय कथित अपराध की गंभीरता, इसमें शामिल नुकसान के जोखिम पर विचार करेगा, चाहे पीड़ित सदस्य हैं या नहीं परिसर समुदाय और/या कार्रवाइयां, जो परिसर में और परिसर के बाहर दोनों जगह हुई हैं।

2.3 अकादमिक सत्यनिष्ठा

वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा के केंद्र के रूप में, महाविद्यालय अकादमिक सत्यनिष्ठा को महत्व देता है और अकादमिक सत्यनिष्ठा के सिद्धांत के आधार पर एक बौद्धिक और नैतिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। अकादमिक सत्यनिष्ठा में अनुसंधान और छात्रवृत्ति के संचालन के लिए नैतिक मानकों से संबंधित ईमानदारी और जिम्मेदारी और जागरूकता शामिल है। महाविद्यालय का मानना है कि सभी के लिए शैक्षणिक सत्यनिष्ठा आवश्यक है, दूसरों के विचारों और योगदानों को उचित रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए। महाविद्यालय और उसके अनुसंधान मिशन की सफलता के लिए अकादमिक सत्यनिष्ठा आवश्यक है, और इसलिए, अकादमिक सत्यनिष्ठा का उल्लंघन एक गंभीर अपराध है।

2.4 कार्यक्षेत्र और उद्देश्य

A. शैक्षणिक सत्यनिष्ठा पर यह नीति, जो संहिता का एक अभिन्न अंग है, महाविद्यालय के सभी छात्रों पर लागू होती है और इसके लिए उक्त नीति का पालन करना आवश्यक है। नीति के दो उद्देश्य हैं–

a. अकादमिक निष्ठा के सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिए।

b. बेईमान आचरण और अकादमिक निष्ठा के उल्लंघन के उदाहरण प्रदान करना।

B. अकादमिक सत्यनिष्ठा के सिद्धांतों को बनाए रखने में विफलता महाविद्यालय की प्रतिष्ठा और इसके छात्रों को प्रदान की जाने वाली डिग्री के मूल्य दोनों के लिए खतरा है।

C. इसलिए महाविद्यालय समुदाय के प्रत्येक सदस्य की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है कि शैक्षणिक सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बरकरार रखा जाए। अकादमिक सत्यनिष्ठा के सिद्धान्त की आवश्यकता है कि एक छात्र;

a. दूसरों के विचारों, परिणामों, सामग्री या शब्दों के उपयोग को उचित रूप से स्वीकार और उद्धृत करता है।

b. किसी दिए गए कार्य के लिए सभी योगदानकर्ताओं को उचित रूप से स्वीकार करता है।

c. नैतिक तरीकों से सभी डेटा या परिणाम प्राप्त करता है और उसकी व्याख्या या निष्कर्ष के साथ असंगत किसी भी परिणाम को दबाए बिना उन्हें सटीक रूप से रिपोर्ट करता है।

2.5 इस नीति के उल्लंघन में शामिल हैं, लेकिन इन तक सीमित नहीं हैं:

I. साहित्यिक चोरी का अर्थ है मूल स्रोत को उचित रूप से स्वीकार किए बिना सामग्री, विचारों, आंकड़ों, कोड या डेटा का अपने रूप में उपयोग करना। इसमें सामग्री प्रस्तुत करना, शब्दशः या उद्धरण शामिल हो सकता है, जिसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लिखा गया है या स्वयं द्वारा पहले प्रकाशित किया गया है। साहित्यिक चोरी के उदाहरणों में शामिल हैं:

a. किसी रिपोर्ट, पुस्तक, थीसिस, प्रकाशन या इंटरनेट से पूरे या आंशिक रूप से पाठ/वाक्य को पुनः प्रस्तुत करना।

b. अपने स्वयं के पहले प्रकाशित डेटा, चित्र, आंकड़े, चित्र, या किसी और के डेटा आदि को पुनः प्रस्तुत करना।

c. उचित आरोपण के बिना क्लास–नोट्स से सामग्री लेना या इंटरनेट ग्राफ़, ड्रॉइंग, फोटोग्राफ, डायग्राम, टेबल, स्प्रेडशीट, कंप्यूटर प्रोग्राम, या अन्य स्रोतों से अन्य गैर–पाठ्य सामग्री को अपनी कक्षा की रिपोर्ट, प्रस्तुतियों, पांडुलिपियों, शोध पत्रों या थीसिस में शामिल करना।

d. स्व–साहित्यिक चोरी जो उचित उद्धरणों के बिना किसी पत्रिका या सम्मेलन की कार्यवाही में अपने स्वयं के पहले प्रकाशित कार्य से शब्दशः नकल करता है।

e. एक पाठ्यक्रम की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक खरीदा या डाउनलोड किया गया टर्म पेपर या अन्य सामग्री जमा करना।

f. किसी लेखक के काम के शब्दों या शैली को उद्धरण के बिना बदलना।

II. धोखाधड़ी में शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है:

a. परीक्षाओं के दौरान नकल करना, और होमवर्क असाइनमेंट, टर्म पेपर, थीसिस या पांडुलिपियों की नकल करना।

b. किसी अन्य के लिए रिपोर्ट की प्रतिलिपि बनाने या लिखने या परीक्षा देने की अनुमति देना या सुविधा देना।

c. अनधिकृत सामग्री का उपयोग करना, नकल करना, सहयोग करना या विभिन्न स्रोतों से कागजात या सामग्री उधार लेना।

d. डेटा को गढ़ना (बनाना) या मिथ्या बनाना (हेरफेर करना) और थीसिस और प्रकाशनों में उनकी रिपोर्ट करना।

e. स्रोत बनाना, या उद्धरण जो मौजूद नहीं हैं

f. पूर्व में किए गए मूल्यांकन में परिवर्तन करना और कार्य को पुनर्मूल्यांकन के लिए पुनः सबमिट करना।

g. असाइनमेंट, रिपोर्ट, शोध पत्र, थीसिस या उपस्थिति पत्रक पर किसी अन्य छात्र के नाम पर हस्ताक्षर करना।

III. हितों का टकरावः व्यावसायिक गतिविधियों के साथ व्यक्तिगत या निजी हितों का टकराव, शिक्षण, अनुसंधान, प्रकाशन, समितियों पर काम करने, अनुसंधान निधि और परामर्श जैसी विविध गतिविधियों में हितों के संभावित टकराव का कारण बन सकता है। वास्तविक पेशेवर स्वतंत्रता, निष्पक्षता और प्रतिबद्धता की रक्षा करना और हितों के टकराव से उत्पन्न होने वाली किसी भी अनुचितता की उपस्थिति से बचने के लिए यह आवश्यक है।

IV. लापरवाही के साथ–साथ जानबूझकर की गई बेईमानी से बचाव के लिए शैक्षणिक आचरण के लिए दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं:

a. प्रयोगों और गणकीय कार्य के लिए उचित कार्यप्रणाली का प्रयोग करें। डेटा का सटीक वर्णन और संकलन करें।

b. मूल चित्र, उपकरण डेटा रीडआउट, प्रयोगशाला नोटबुक और कंप्यूटर फ़ोल्डर जैसे प्राथमिक और द्वितीयक डेटा को सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड करें और सहेजें। छवियों/तस्वीरों का न्यूनतम डिजिटल हेरफेर होना चाहिए; मूल संस्करण को बाद में जांच के लिए सहेजा जाना चाहिए, यदि आवश्यक हो, और किए गए परिवर्तनों का स्पष्ट रूप से वर्णन किया जाना चाहिए।

c. प्रयोगों और सिमुलेशन के मजबूत प्रतिलिपि प्रस्तुत करने योग्यता और सांख्यिकीय विश्लेषण सुनिश्चित करें। डेटा के बारे में सच्चा होना महत्वपूर्ण है और प्रभावशाली आंकड़ा बनाने के लिए कुछ डेटा बिंदुओं को छोड़ना नहीं है (आमतौर पर "चेरी पिकिंग" के रूप में जाना जाता है)।

d. प्रकाशन या पेटेंटिंग के दौरान बाद में जाँच को सक्षम करने के लिए मुद्रित पृष्ठ संख्या के साथ बाउंड नोटबुक में प्रयोगशाला नोटों को अच्छी तरह से बनाए रखा जाना चाहिए। प्रत्येक पृष्ठ पर तिथि का उल्लेख किया जाना चाहिए।

e. अपने शब्दों में स्पष्ट रूप से लिखें। कक्षा असाइनमेंट, पांडुलिपियों और थीसिस के लिए इंटरनेट या अन्य स्रोतों से "कॉपी और पेस्ट" करने के प्रलोभन का विरोध करना आवश्यक है।

f. उपयुक्त उद्धरणों के साथ पिछली रिपोर्टों, विधियों, कंप्यूटर प्रोग्रामों आदि को उचित श्रेय दें।

g. आपके अपने प्रकाशित कार्य से ली गई सामग्री को भी उद्धृत किया जाना चाहिए; जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इसे अन्यथा आत्म–साहित्यिक चोरी माना जाएगा।

2.6 व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारीः

A. छात्र भूमिकाएँः विभाग को थीसिस (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम या पीएच.डी.) जमा करने से पहले, छात्र वेब पर उपलब्ध सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके साहित्यिक चोरी के लिए थीसिस की जाँच करने के लिए जिम्मेदार है (नीचे संसाधन देखें)। इसके अलावा, छात्र को महाविद्यालय के शैक्षणिक दिशानिर्देशों के संबंध में वचन देनी चाहिए, साहित्यिक चोरी के लिए दस्तावेज़ की जाँच की है, और थीसिस मूल कार्य है। वेब–जांच अनिवार्य रूप से साहित्यिक चोरी से इंकार नहीं करती है। यदि कोई छात्र अकादमिक सत्यनिष्ठा नीति के किसी भी उल्लंघन को देखता है या उसके बारे में जागरूक हो जाता है, तो उसे कदाचार की समय पर रिपोर्ट करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है।

B. संकाय भूमिकाएँः संकाय सदस्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रयोगों, गणनाओं और सैद्धांतिक विकास के लिए उचित तरीकों का पालन किया जाता है, और यह कि डेटा को ठीक से रिकॉर्ड किया जाता है और भविष्य के संदर्भ के लिए सहेजा जाता है। इसके अलावा, उन्हें पांडुलिपियों और थीसिस की सावधानीपूर्वक समीक्षा करनी चाहिए। अकादमिक अखंडता से संबंधित

उपरोक्त व्यापक मुद्दों के साथ व्यक्तिगत अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संकाय सदस्य भी जिम्मेदार हैं। संकाय सदस्य से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने विशिष्ट पाठ्यक्रमों के भीतर महाविद्यालय की अकादमिक सत्यनिष्ठा नीति के बारे में छात्रों को सूचित करें, ताकि न्यूनतम शैक्षणिक बेईमानी सुनिश्चित की जा सके और अकादमिक सत्यनिष्ठा के उल्लंघन के लिए उचित और समय पर प्रतिक्रिया दी जा सके।

C. कॉलेज की भूमिकाएँ: अकादमिक सत्यनिष्ठा का उल्लंघन एक गंभीर अपराध है जिसके लंबे समय तक चलने वाले परिणाम व्यक्ति और महाविद्यालय दोनों के लिए होते हैं और इससे विभिन्न प्रतिबंध लग सकते हैं। एक छात्र के मामले में शैक्षणिक उल्लंघन का पहला उल्लंघन चेतावनी और/या अनुशासनात्मक कार्रवाई की ओर ले जाएगा।

03. नैतिकता और आचरण

3.1 यह संहिता महाविद्यालय परिसर में होने वाले छात्रों के सभी प्रकार के आचरण के लिए होगी, जिसमें विश्वविद्यालय प्रायोजित गतिविधियां, अन्य मान्यता प्राप्त छात्र संगठनों द्वारा आयोजित समारोह और किसी भी परिसर से बाहर आचरण शामिल हैं जो महाविद्यालय के हितों या प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव के गंभीर परिणाम हैं या हो सकते हैं।

3.2 प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र को इस संहिता को स्वीकार करते हुए एक बयान पर हस्ताक्षर करना होगा और एक वचन देना होगा कि;

a. छात्र नियमित होगा और उसे महाविद्यालय में अपनी पढ़ाई पूरी करनी होगी।

b. घटना में, एक छात्र को किसी भी वैध कारण से पढ़ाई बंद करने के लिए मजबूर किया जाता है; ऐसे छात्र को विभागाध्यक्ष और प्राचार्य की लिखित सहमति के अधीन महाविद्यालय से मुक्त किया जा सकता है।

c. इस तरह की राहत के परिणामस्वरूप, छात्र को छात्रावास / मेस / पुस्तकालय की बकाया राशि का भुगतान करना होगा और यदि कोई छात्र छात्रवृत्ति पर महाविद्यालय में शामिल हुआ है, तो उक्त अनुदान रद्द कर दिया जाएगा।

3.3 महाविद्यालय व्यवहार मानकों को लागू करके एक सुरक्षित और कुशल वातावरण को बढ़ावा देने में विश्वास करता है। सभी छात्रों को अकादमिक सत्यनिष्ठा को बनाए रखना चाहिए, सभी व्यक्तियों और उनके अधिकारों और संपत्ति और दूसरों की सुरक्षा आदि का सम्मान करना चाहिए।

3.4 सभी छात्रों को परिसर के बाहर किसी भी गतिविधि में भाग लेने सहित किसी भी और सभी प्रकार के कदाचार से बचना चाहिए जो महाविद्यालय के हितों और प्रतिष्ठा को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। इस तरह के कदाचार के विभिन्न रूपों में शामिल हैं:

A. किसी व्यक्ति के लिंग, जाति, जाति, धर्म या धार्मिक विश्वासों, रंग, क्षेत्र, भाषा, अक्षमता, या यौन अभिविन्यास, वैवाहिक या पारिवारिक स्थिति, शारीरिक या मानसिक अक्षमता, लिंग के आधार पर भेदभाव का कोई भी कार्य (शारीरिक या मौखिक आचरण) पहचान, आदि

B. अन्य छात्रों और/या संकाय सदस्यों की कॉलेज की संपत्ति या संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना या नष्ट करना।

C. कक्षा में या महाविद्यालय द्वारा प्रायोजित किसी कार्यक्रम में कोई विघटनकारी गतिविधि।

D. महाविद्यालय द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र को प्रस्तुत करने में असमर्थ, या परिसर के सुरक्षा गार्डों द्वारा मांगे जाने पर इसे प्रस्तुत करने से इनकार करना।

E. गतिविधियों में भाग लेना जिनमें शामिल हैं:

a. महाविद्यालय की अनुमति के बिना सभाओं और जुलूसों का आयोजन।

b. भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित धार्मिक या आतंकवादी समूहों की सदस्यता स्वीकार करना।

c. कानून या नीति के विपरीत किसी भी हथियार, गोला–बारूद, विस्फोटक, या संभावित हथियार, आतिशबाजी का अनधिकृत कब्जा, ले जाना या उपयोग करना।

d. महाविद्यालय परिसर में अनाधिकृत रूप से हानिकारक रसायन एवं प्रतिबंधित मादक द्रव्यों का सेवन एवं धूम्रपान तथा महाविद्यालय में शराब रखना, सेवन करना, वितरण करना, विक्रय करना।

e. परिसर में तेज गति से वाहन चलाना जिससे दूसरों को कोई असुविधा हो सकती है।

f. पहले से मौजूद स्वास्थ्य स्थिति का खुलासा नहीं करना, चाहे वह शारीरिक या मनोवैज्ञानिक हो, जो शैक्षणिक प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

g. महाविद्यालय के संसाधनों की चोरी या अनधिकृत पहुंच।

h. छात्रसंघ चुनाव के समय या महाविद्यालय की किसी भी गतिविधि के दौरान दुर्व्यवहार।

i. उपद्रवी, भद्दे, या अभद्र आचरण में शामिल होना, जिसमें अनुचित शोर पैदा करना शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है; धक्का देना और हिलाना; महाविद्यालय में दंगे या समूह व्यवधान में अभिनय करना या उसमें भाग लेना।

3.5 छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे महाविद्यालय की ओर से मीडिया प्रतिनिधियों के साथ बातचीत नहीं करेंगे या महाविद्यालय के अधिकारियों की अनुमति के बिना मीडिया के लोगों को परिसर में आमंत्रित नहीं करेंगे।

3.6 छात्रों को बिना पूर्व अनुमति के कक्षा में अन्य छात्रों, शिक्षकों या कर्मचारियों के कार्यों या व्याख्यान की ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड की अनुमति नहीं है।

3.7 छात्रों को पूर्व अनुमति के बिना परिसर में किसी भी गतिविधि की ऑडियो और वीडियो क्लिपिंग मीडिया को प्रदान करने की अनुमति नहीं है।

3.8 छात्रों से अपेक्षा की जाती है कि वे सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक और जिम्मेदारी से उपयोग करें। वे सोशल मीडिया पर महाविद्यालय के अन्य व्यक्तियों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी पोस्ट नहीं कर सकते हैं या सोशल मीडिया पर महाविद्यालय से संलिप्त हैं या महाविद्यालय की प्रतिष्ठा पर गंभीर प्रभाव डालने वाली ऐसी किसी भी संबंधित गतिविधियों में लिप्त हैं।

3.9 महाविद्यालय के कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों जैसे कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक संचार सुविधाओं, प्रणालियों और सेवाओं की चोरी या दुरुपयोग जिसमें महाविद्यालय की संपत्ति या सुविधाओं का अनधिकृत प्रवेश, उपयोग, गुस्सा आदि शामिल हैं, कर्मचारियों / प्राध्यापकों के निजी आवास आदि कार्यालय, कक्षाएं, कंप्यूटर नेटवर्क और अन्य प्रतिबंधित सुविधाएं और दूसरों के काम में हस्तक्षेप दंडनीय है।

3.10 महाविद्यालय परिसर में महाविद्यालय की किसी भी संपत्ति, या दूसरों की किसी भी संपत्ति को नुकसान या नष्ट करना।

3.11 वीडियो/ऑडियो रिकॉर्डिंग बनाना, तस्वीरें लेना, या किसी ऐसे स्थान पर किसी भी व्यक्ति का ऑडियो/वीडियो स्ट्रीमिंग करना, जहां उस व्यक्ति को उस व्यक्ति की जानकारी और व्यक्त सहमति के बिना गोपनीयता की उचित अपेक्षा हो।

3.12 उत्पीड़न के किसी भी रूप में लिप्त होना, जिसे एक ऐसे आचरण के रूप में परिभाषित किया गया है जो गंभीर और निष्पक्ष है, एक ऐसा आचरण जो किसी व्यक्ति की जाति, रंग, राष्ट्रीय या जातीय मूल, नागरिकता, लिंग, धर्म, आयु, यौन अभिविन्यास, लिंग, लिंग पहचान, वैवाहिक स्थिति, वंश, शारीरिक या मानसिक विकलांगता, चिकित्सा स्थिति के आधार पर प्रेरित होता है।

04. आचार संहिता का उल्लंघन

यदि किसी छात्र के खिलाफ आचार संहिता के संभावित उल्लंघन का मामला है, तो एक उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा जो कथित उल्लंघन की जांच करेगी और तदनुसार उक्त छात्र के खिलाफ कार्रवाई का सुझाव देगी। समिति कदाचार का पता लगाने के लिए छात्र से मिल सकती है और कदाचार की प्रकृति के आधार पर निम्नलिखित में से एक या अधिक अनुशासनात्मक कार्रवाई का सुझाव दे सकती है।

4.1 चेतावनी– यह इंगित करते हुए कि उक्त अपराधी छात्र की कार्रवाई संहिता के उल्लंघन में थी और कदाचार के किसी भी अन्य कृत्य के परिणामस्वरूप गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

4.2 प्रतिबंध– एक निर्दिष्ट अवधि के लिए परिसर में विभिन्न सुविधाओं तक पहुंच को फटकारना और प्रतिबंधित करना।

4.3 सामुदायिक सेवा– यदि आवश्यक हो तो एक निर्दिष्ट अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। हालांकि, किसी भी भविष्य में कदाचार के साथ–साथ लगाई गई किसी भी शर्त का पालन करने में विफलता के कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, जिसमें निलंबन या निष्कासन शामिल है।

4.4 निष्कासन – किसी छात्र का महाविद्यालय से स्थायी रूप से निष्कासन, महाविद्यालय परिसर में प्रवेश करने या किसी भी छात्र से संबंधित गतिविधियों या परिसर निवास आदि में भाग लेने से निषेध का संकेत देना।

4.5 मौद्रिक दंड– इसमें एक विशिष्ट समय अवधि के लिए छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति का निलंबन या जब्ती भी शामिल हो सकती है।

4.6 निलंबन – एक छात्र को एक विशिष्ट अवधि के लिए निलंबित किया जा सकता है जो छात्र से संबंधित गतिविधियों, कक्षाओं, कार्यक्रमों आदि में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाएगा। इसके अतिरिक्त, छात्र को विभिन्न कॉलेज सुविधाओं का उपयोग करने से मना किया जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं की जाती है। निम्नलिखित अतिरिक्त दंड के साथ, निलंबन संभावित बर्खास्तगी के बाद भी हो सकता है।

4.7 अपात्रता – तीन वर्ष की अवधि के लिए महाविद्यालय में प्रवेश के लिए पुनः आवेदन करने की अपात्रता, और पाठ्यक्रम अध्ययन या किए गए कार्य के लिए ग्रेड कार्ड या प्रमाण पत्र को रोकना।

05. एंटी रैगिंग

महाविद्यालय में एक सुसंगत और प्रभावी एंटी–रैगिंग नीति है जो उच्च शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए 'यूजीसी' विनियमन पर आधारित है, 2009 (यहाँ बाद में 'यूजीसी' विनियम के रूप में संदर्भित); सभी भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और कॉलेजों में रैगिंग को रोकने और प्रतिबंधित करने के लिए भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के मद्देनजर यूजीसी विनियम तैयार किए गए हैं। उक्त यूजीसी विनियम कॉलेज और छात्रों पर आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

5.1 रैगिंग में निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्य होते हैं:

a. किसी भी छात्र या छात्र द्वारा कोई भी आचरण, चाहे वह बोले गए या लिखित शब्दों द्वारा या किसी ऐसे कार्य से हो, जिसमें किसी छात्र को छेड़ने, व्यवहार करने या अशिष्टता से निपटने का प्रभाव हो।

b. किसी भी छात्र या छात्र द्वारा उपद्रवी या अनुशासनहीन गतिविधियों में लिप्त होना जो किसी अन्य छात्र में झुंझलाहट, कठिनाई, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक नुकसान या भय या आशंका पैदा करता है या होने की संभावना है।

c. किसी भी छात्र को ऐसा कोई भी कार्य करने के लिए कहना जो ऐसा छात्र सामान्य पाठ्यक्रम में नहीं करेगा और जिसका ऐसे छात्र के शरीर या मानस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए शर्म, या पीड़ा या शर्मिंदगी की भावना पैदा करने या उत्पन्न करने का प्रभाव हो।

d. वरिष्ठ छात्र द्वारा किया गया कोई भी कार्य जो किसी छात्र की नियमित शैक्षणिक गतिविधि को रोकता है, बाधित करता है या परेशान करता है।

e. किसी व्यक्ति या छात्रों के समूह को सौंपे गए शैक्षणिक कार्यों को पूरा करने के लिए एक छात्र की सेवाओं का शोषण करना।

f. अन्य छात्रों द्वारा किसी छात्र पर वित्तीय जबरन वसूली या जबरदस्ती खर्च करने का कोई भी कार्य।

g. इसके सभी नौकरों सहित शारीरिक शोषण का कोई भी कार्यः यौन शोषण, कपड़े उतारना, अश्लील और भद्दे काम करने के लिए मजबूर करना, इशारे करना, शारीरिक नुकसान पहुंचाना या स्वास्थ्य या व्यक्ति के लिए कोई अन्य खतरा।

h. बोले गए शब्दों, ईमेल, सार्वजनिक अपमान के बाद कोई भी कार्य या दुर्व्यवहार जिसमें किसी अन्य छात्र को असुविधा में सक्रिय रूप से या निष्क्रिय रूप से भाग लेने से विकृत आनंद, विचित्र या दुखद रोमांच प्राप्त करना शामिल होगा।

i. कोई भी कार्य जो किसी अन्य छात्र के मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास को प्रभावित करता है या बिना किसी दुखदायी आनंद को प्राप्त करने के इरादे से या किसी अन्य छात्र पर किसी छात्र द्वारा शक्ति या श्रेष्ठता दिखाने के इरादे से प्रभावित करता है।

5.2 एंटी रैगिंग कमेटी

रैगिंग विरोधी समिति, जैसा कि प्राचार्य द्वारा गठित और छात्र मामलों के सलाहकारों की अध्यक्षता में किया गया है, रैगिंग विरोधी की सभी शिकायतों की जांच करेगी और घटना की प्रकृति के आधार पर सिफारिश के साथ सामने आएगी।

5.3 एंटी रैगिंग स्क्वॉड

छात्रों को सहायता प्रदान करने के लिए, एक रैगिंग विरोधी दस्ते का गठन किया गया है, जो एक छोटा निकाय है, जिसमें परिसर समुदाय के विभिन्न सदस्य शामिल हैं। उक्त दस्ता समुदाय में होने वाली रैगिंग की घटनाओं पर नजर रखेगा और गश्ती कार्य करेगा। छात्र ध्यान दें कि दस्ता हर समय सक्रिय और सतर्क है और संभावित रैगिंग के स्थानों का निरीक्षण करने के लिए सशक्त है, और महाविद्यालय में छात्रावासों और अन्य हॉटस्पॉट में औचक छापेमारी भी कर सकता है। दस्ता रैगिंग की घटनाओं की जांच भी कर सकता है और रैगिंग विरोधी समिति को सिफारिशें कर सकता है और रैगिंग विरोधी समिति के मार्गदर्शन में काम करेगा।

5.4. रैगिंग विरोधी समिति द्वारा लगाए गए अनुसार समिति द्वारा दोषी छात्र को निम्नलिखित में से एक या अधिक दंड दिए जाएंगेः

a. कक्षाओं और शैक्षणिक विशेषाधिकारों में भाग लेने से निलंबन।

b. छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति और अन्य लाभों को रोकना/वापस लेना।

c. किसी भी परीक्षा/परीक्षा या अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित करना।

d. रोके गए परिणाम।

e. अपने शोध कार्य को प्रस्तुत करने के लिए किसी भी सहयोगी कार्य को करने या राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों / संगोष्ठियों / बैठक में भाग लेने से वंचित करना।

f. छात्रावास एवं मेस से निलंबन/निष्कासन।

g. प्रवेश रद्द करना।

h. संस्था से निष्कासन और फलस्वरूप किसी अन्य संस्थान में एक निश्चित अवधि के लिए प्रवेश से वंचित करना।

5.4.1 ऐसे मामलों में जहां व्यक्ति समिति या रैगिंग के कृत्य के लिए उकसाने वाले की पहचान नहीं की जाती है, महाविद्यालय सामूहिक दंड का सहारा लेगा।

यदि आवश्यक हो, रैगिंग के कृत्य की तीव्रता को देखते हुए, संस्थान द्वारा स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ एक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की जाएगी।

संस्थान की एंटी–रैगिंग कमेटी तथ्यों और रैगिंग की घटना की प्रकृति और गंभीरता के आधार पर दंड लगाने सहित उचित निर्णय लेगी।

5.4.2 ऊपर वर्णित सजा के किसी भी आदेश के खिलाफ संस्थान के निदेशक को अपील प्रस्तुत की जा सकती है।

06. यौन उत्पीड़न

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और निषेध पर महाविद्यालय की नीति संस्थान के छात्रों के लिए आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होगी, जिसे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध) के अनुसार छात्रों द्वारा gururgovermentcollege@gmail.com पर एक्सेस और समीक्षा की जा सकती है। और निवारण) अधिनियम, 2013। छात्रों को ध्यान देना चाहिए कि यौन दुराचार या उत्पीड़न में कई प्रकार के आचरण शामिल हैं, जिनमें यौन हमला, अवांछित स्पर्श या लगातार अवांछित टिप्पणियां, ई–मेल, या अपमानजनक या अपमानजनक यौन प्रकृति की तस्वीरें शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। जो उत्पीड़न का गठन कर सकता है, जो प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

07. छात्र शिकायत प्रक्रिया

महाविद्यालय का कोई भी छात्र यौन उत्पीड़न, दुराचार या रैगिंग के किसी भी कृत्य से व्यथित है जैसा कि यहां परिभाषित और संक्षेप में बताया गया है, महाविद्यालय में छात्र शिकायत निवारण प्रकोष्ठ से संपर्क कर सकता है। इसके अलावा, कोई भी छात्र जो किसी भी उल्लंघन के बारे में जानता है, उसे इसकी सूचना प्रकोष्ठ को देनी चाहिए। प्रकोष्ठ में प्राचार्य द्वारा नियुक्त सदस्य होंगे। शिकायत लिखित रूप में होनी चाहिए और कथित उल्लंघन के दिन से 60 दिनों के भीतर की जानी चाहिए। प्रकोष्ठ शिकायत का संज्ञान लेगा और इस संहिता या आंतरिक उत्पीड़न की शिकायतों को लागू करने के लिए गठित समिति को सूचित करेगा।

08. शासन में छात्र की भागीदारी

चूंकि छात्र महाविद्यालय परिसर के सदस्य हैं, इसलिए महाविद्यालय के शासन में उनकी काफी रुचि है। यहां निर्धारित संहिता, नीतियों और विभिन्न प्रक्रियाओं का इरादा है कि प्रशासनिक और शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में शासन में छात्रों की भागीदारी का सिद्धांत आवश्यक है और यह महत्वपूर्ण है कि एक सूचित निर्णय लेने के लिए छात्रों को हर समय अपने विचार और सलाह देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। छात्र भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है और सभी स्तरों पर छात्रों की भागीदारी के माध्यम से इसे मजबूत किया जाना चाहिए। इसलिए, सभी छात्र जो महाविद्यालय का हिस्सा हैं और जो महाविद्यालय में नामांकित होने जा रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इस नीति को बनाए रखें और महाविद्यालय को उल्लंघन विरोधी की सूचना दें और इस संहिता एवं नीतियां की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार करने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से सहायता करें और संलग्न करें।

छ.ग. के शासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए आचरण संहिता

सामान्य नियम –

छ.ग. के शासकीय महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थियों को महाविद्यालय के नियमों का अक्षरशः पालन करना होगा।

1. प्रत्येक विद्यार्थी शालीन वेशभूशा में महाविद्यालय में आयेगा। किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूशा उत्तेजक नहीं होना चाहिए।
2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा। साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधों को भी पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा।
3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा, अभद्र व्यवहार, असंसदीय भाषा का प्रयोग, गाली–गलौच मारपीट या अग्रेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा।
4. महाविद्यालय को स्वच्छ बनाये रखने प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है, वह सरल निर्त्यसन और मितव्यवी जीवन निर्वाह करेगा।
5. महाविद्यालय एवं छात्रावास सीमा में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थो का सेवन सर्वथा वर्जित करेगा।
6. महाविद्यालय में इधर–उधर थूकना, दीवारों को गंदा करना सख्त मना है। विद्यार्थी को असामाजिक या गन्दी बातें लिखना मना है। विद्यार्थी को असामाजिक या अपाराधिक गतिविधियों में लिप्त पाये जाने पर कठोर कार्यवाही की जावेगी।
7. वह अपनी मांगे, प्रदर्शन तथा आंतक फैलाकर नहीं करेंगें, विद्यार्थी अपने आप को दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांग मनवाने के लिए राजनीति दलों, कार्यकर्ताओं अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा।
8. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल एवं पॉलिथन का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

अध्ययन संबंध नियम –

1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत अनिवार्य होगी, एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी। अन्यथा उसे परीक्षा में बैठने की पात्रता नहीं होगी।
2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का प्रयोग सावधानी पूर्वक करेगा, उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ–सुथरा रखेगा।
3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा। उसे निर्धारित संस्था में ही पुस्तक प्राप्त होगी तथा समय से न लौटाने पर निर्धारित आर्थिक दंड देना होगा।
4. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिगं की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक माना जायेगा।

परीक्षा संबंधी नियम :–

1. विद्यार्थी को सूत्र के दौरान होने वाली सभी इकाई परीक्षाओं, त्रैमासिक तथा अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं में सम्मिलित होना अनिवार्य है।
2. अव्यवस्थावश आंतरिक परीक्षाओं में सम्मिलित न होने की स्थिति में विद्यार्थी शासकीय चिकित्सक से मेडिकल सर्टीफिकेट प्रस्तुत करेगा तथा स्वच्छ होने के उपरांत परीक्षा देगा।
3. परीक्षा में या उसके संबंध में किसी प्रकार के अनुचित लाभ लेने या अनुचित साधनों का प्रयोग करने का प्रयत्न गंभीर दुराचरण माना जायेगा।

महाविद्यालय प्रशासन का अधिकार क्षेत्रः–

1. यदि छात्र किसी अनैतिक मूलक या गंभीर अपराध में अभियुक्त पाया गया तो उसका प्रवेश तत्काल निरस्त कर दिया जायेगा।
2. यदि छात्र रैगिंग में लिप्त पाया गया तो शैक्षणिक संस्थानों में प्रताड़ना अधिनियम 2001 के अनुसार रैगिंग किये जाने पर कारवास की सजा या 25000रू. जुर्माना अथवा दोनों से दण्डित किया जावेगा।
3. यदि विद्यार्थी समय सीमा में भुगतान नहीं करता तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
4. यदि विद्यार्थी किसी भी प्रार्थना पत्र अथवा आवेदन में तथ्यों को छिपाएगा अथवा गलत प्रस्तुत करेगा तो उसका प्रवेश निस्रत कर उसे महाविद्यालय से पृथक कर दिया जायेगा।

महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गये आवेदन पत्र में उसका पालक/अभिभावक का घोषण पत्र पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है और यह हस्ताक्षर प्रवेश समिति के सम्मुख करेंगे।

रैगिंग क्या है ?

रैगिंग के अंतर्गत :–

कोलाहलपूर्ण अनुचित व्यवहार करना, चिढ़ाना, भद्दे या अशिष्ट आचरण करना उपद्रवी एवं अनुशासनहीन क्रिया कलापों में संलग्न जिसमें नए छात्र को गुस्सा, अनावश्यक परेशानी, शारीरिक अथवा मानसिक क्षति हो अथवा उसमें आशंका या भय बढ़ाने वाला हो, अथवा छात्रों को कार्य करने के लिए कहना, जो छात्र/छात्रों सामान्यतया नहीं कर सकता/ सकती और जिससे उसे शर्म या अपमान का अनुभव होता हो, अथवा जीवन के लिए खतरा हो।

छतीसगढ़ राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग अधिनियम 2002

कर्नाटक शिक्षा अधिनियम, 1983 (कर्नाटक अधिनियम नं 1, 1995), अनुच्छेद 2 (29) के अनुसार रैकिंग की परिभाषा इस प्रकार है– किसी छात्र को मजाक में या अन्य किसी प्रकार से ऐसा कार्य करने के लिए कहना, प्रेरित करना या बाध्य करना, जो मानव–मर्यादा के खिलाफ हो या जो उसके व्यक्तित्व के विपरीत हो या जिससे यह हास्यापद हो जाए या डरा–धमकाकर गलत ढंग से रोककर गलत ढंग से बंद करके चोट पहुचाकर या उस पर अनुचित दबाव डालकर या उसे इस प्रकार की धमकी,गलत अवरोध, गलत ढ़ंग से बंदी बनाने, चोट या अनुचित भय दिखाकतर वैधानिक कार्य करने से मना करना।

रैंगिंग का स्वरूप :–

रैगिंग निम्नांकित रूपों (सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं) में पाई जाती है –

स्पष्ट आदेश

1. वरिष्ठ छात्रों को सर कहने के लिए।
2. सामूहिक कवायद करने के लिए।
3. वरिष्ठों के क्लास नोट्स उतारने के लिए।
4. अनेक सौपें हुए कार्य करने के लिए।
5. वरिष्ठ के लिए भृत्योचित कार्य करने के लिए।
6. अश्लील प्रश्न पूछने या उनके उत्तर देने के लिए।
7. नये छात्रों को अपने सीधेपन के विपरीत आधात पहुंचाने हेतु अश्लील चित्रों को देखने के लिए।
8. शराब, उबलती हुई, आदि के लिए बाध्य करना।
9. कामुक संकेतार्थ वाले कार्य – समलैंगिक कार्य सहित करने के लिए बाध्य करना।

10. ऐसे कार्य करने के लिए बाध्य करना, जिससे शारीरिक क्षति, मानसिक पीड़ा या मृत्यु तक हो सकती है।
11. नग्न करना, चुंबन लेना आदि।
12. अन्य अश्लीलताएं करना।

उपर्युक्त ये बिन्दुओं से यह विदित होता है कि प्रथम पांच को छोड़कर अधिकतर रैगिंग के विकृत रूपों से युक्त है।

रैगिंग में लिप्त होन पर दिए जाने वाले दंड :–

01. प्रवेश निरस्त किया जाना।
02. कक्षा / छात्रावास के निष्कासित किया जाना।
03. छात्रवृत्ति अथवा अन्य सुविधा रोकना।
04. परीक्षा परिणाम रोकना।
05. परीक्षाओं से वंचित करना।
06. राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा युवा उत्सव में भाग लेने पर प्रतिबंध।
07. संस्था से निष्कासित किया जाना।
08. आर्थिक दंड रू. 25000 / – तक।

09. शिक्षकों के लिए आचार संहिता

इस महाविद्यालय के शिक्षकों को छत्तीसगढ़ सरकार सेवा नियमों और विनियमों के साथ–साथ कॉलेज शिक्षकों के लिए यूजीसी द्वारा प्रदान की गई दिशा–निर्देशों में निर्धारित आचार संहिता का पालन करना चाहिए। महाविद्यालय के लिए यूजीसी के अनुसार शिक्षण को पेशे के रूप में स्वीकार करना पेशे के आदर्शों के अनुसार खुद को संचालित करने की प्रतिबद्धता मानता है। एक शिक्षक लगातार छात्रों और बड़े पैमाने पर समाज की निगरानी में रहता है। इसलिए प्रत्येक शिक्षक को यह देखना चाहिए कि उसके सिद्धांतों और कार्यों के बीच कोई टकराव नहीं है। शिक्षा की राष्ट्रीय नैतिकता उसकी अपनी नैतिकता होनी चाहिए। संहिता में निहित महत्वपूर्ण नैतिक मूल्य चिंता, विश्वास, ईमानदारी और सम्मान हैं, जो शिक्षक से संबंधित उन विशेषताओं का उदाहरण हैं जिन्हें सामाजिक जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए एक निश्चित आचार संहिता में निम्नलिखित शामिल हैं:

9.1 पेशेवर, व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्य

1. शिक्षक को सावधान रहना चाहिए और छात्रों की शिक्षा के प्रति समर्पित होना चाहिए। यह दृष्टिकोण प्रत्येक छात्र की विशेष आवश्यकताओं की ओर लक्षित होना चाहिए। शिक्षक को मेहनती और प्रतिबद्ध होना चाहिए और बिना किसी पारिश्रमिक की इच्छा के कक्षा में छात्रों को घंटों मदद करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
2. शिक्षक अपने विचारों को व्यक्त करने वाले छात्रों के फॉर्म को विफल नहीं करेगा यदि यह शिक्षक के अपने विचारों से भिन्न है। छात्रों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। शिक्षकों को छात्रों से सकारात्मक आलोचना को पहचानना चाहिए।
3. शिक्षक को एक शैक्षिक वातावरण बनाने का प्रयास करना चाहिए। जाति, पंथ, धर्म, लिंग या सामाजिक–आर्थिक स्थिति के बावजूद सभी छात्रों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। उनमें से किसी का भी कायरतापूर्ण पूर्वाग्रह या द्वेषपूर्ण दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए।
4. शिक्षक का उद्देश्य छात्रों को अधिक जागरूकता पैदा करने और ज्ञान की खोज में पूछताछ की भावना का विस्तार करने के लिए प्रेरित करना माना जाता है।
5. शिक्षक को छात्रों में वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को प्रेरित करना चाहिए, जिससे वे समाज उन्मुख, वफादार और खुले विचारों वाले बन सकें।
6. शिक्षकों को अपने पेशे के दर्शन का पालन करना चाहिए और सम्मानजनक तरीके से कार्य करना चाहिए। शिक्षकों को अपने मन में यह बात रखनी चाहिए कि समाज ने उनके बच्चों के साथ उन पर भरोसा किया है।

9.2 पेशेवर विशेषज्ञता विकास

1. सीखना एक सतत प्रक्रिया है। यह आवश्यक है कि शिक्षक स्वयं को और अपने छात्रों को उन्नत करने के लिए हमेशा अपने–अपने क्षेत्रों में खुद को अपडेट करें। शिक्षकों को नवीनतम प्रगति, कार्यप्रणाली और प्रासंगिक सूचनाओं से भी परिचित होना चाहिए।
2. शिक्षकों को शिक्षण के अलावा, विषय ज्ञान के निरंतर सुधार और प्रगति के लिए अनुसंधान और नवाचार करना चाहिए। उन्हें अकादमिक विषयों के बहु–विषयक ज्ञान के लिए स्वयं को संगोष्ठियों और सम्मेलनों और कार्यशालाओं में शामिल करना चाहिए।
3. योजना बनाना, विकसित करना, नवीन शिक्षण तकनीकों और रणनीतियों के साथ–साथ पाठ्यक्रम में सुधार और एक उन्नत शैक्षणिक संरचना की योजना बनाना शिक्षकों के पेशेवर कर्तव्यों का एक अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए।

4. शिक्षकों को महाविद्यालय की शैक्षिक जिम्मेदारियों जैसे कि प्रवेश, सेमिनार, सम्मेलनों और कार्यशालाओं आदि का संचालन करना होगा। उन्हें महाविद्यालय की सह–पाठ्यचर्या गतिविधियों जैसे खेल, विस्तार गतिविधियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी भाग लेना चाहिए। यह छात्रों के साथ समग्र विकास और एक मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में मदद करेगा।

9.3 व्यावसायिक और शैक्षिक सत्यनिष्ठा

1. शिक्षकों को अपनी योग्यता, अनुभव और अन्य साख के दस्तावेजों का सच्चाई से प्रतिनिधित्व करते हुए पेशेवर प्रथाओं में ईमानदारी का पालन करना चाहिए।
2. अनुसंधान में नैतिकता से समझौता नहीं किया जाना चाहिए। साहित्यिक चोरी एक अनैतिकता है जिसे किसी भी बिंदु पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। शिक्षकों का उद्देश्य शोध की गुणवत्ता को विकसित करना होना चाहिए न कि उसमें मिलावट या साहित्यिक चोरी से दूषित करना।
3. पेशेवर असाइनमेंट और निजी कार्यों के बीच हितों का कोई टकराव नहीं होना चाहिए। निजी ट्यूशन और ट्यूशन से बचना चाहिए क्योंकि वे महाविद्यालय शिक्षण के मूल्य को खराब रूप से दर्शाते हैं।
4. शिक्षकों को परीक्षा मामलों के साथ–साथ सहकर्मियों और छात्रों से संबंधित सभी सूचनाओं की गोपनीयता का पालन करना चाहिए जब तक कि कानूनी रूप से आवश्यक न हो।

9.4 व्यावसायिक गठबंधन, सहयोग और टीम वर्क

1. शिक्षकों को अपने सहयोगियों की मदद करते हुए और आपसी तरीके से कार्यों को साझा करते हुए उनके प्रति विनम्र और सहायक होना चाहिए।
2. शिक्षकों को चाहिए कि वे अपने स्वार्थी हितों के अनुरूप अपने सहयोगियों के खिलाफ अपुष्ट आरोप लगाने से बचें।
3. शिक्षकों को शीर्ष अधिकारियों द्वारा वर्णित स्थापित नियमों के अनुसार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए और अपने अनुबंधों के नियमों और शर्तों को भी पूरा करना चाहिए।
4. शिक्षकों को परिहार्य राजनीतिक हस्तक्षेपों पर प्रतिक्रिया करने से बचना चाहिए क्योंकि ये एक शैक्षिक संगठन की पवित्रता और सुधार को नुकसान पहुंचाते हैं।
5. शिक्षकों को गैर–शिक्षण कर्मचारियों का सम्मान करना चाहिए। महाविद्यालय के संबंध में निर्णय सभी की सहमति से किया जाना चाहिए।
6. छात्रों की प्रगति में सुधार के लिए शिक्षकों को छात्रों के माता–पिता के साथ समय–समय पर संचार करना चाहिए।
7. शिक्षकों को अनावश्यक लंबी छुट्टी लेने से बचना चाहिए और महाविद्यालय के कामकाज के लिए भी नियमितता बनाए रखनी चाहिए।

9.5 सामान्य कर्तव्य और जिम्मेदारियां

1. शिक्षकों को विभाग के प्रमुख द्वारा सौंपे गए विषयों को पढ़ाना चाहिए।
2. शिक्षक समय पर पाठ्यक्रम पूरा करें।
3. ट्यूटर – वार्ड प्रणाली को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए। शिक्षक उन छात्रों के संबंधित समूह की निगरानी करेंगे जो उनसे जुड़े हुए हैं।
4. शिक्षक अच्छे परामर्शदाता और सूत्रधार होने चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए छात्रों की मदद, मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और सहायता करनी चाहिए कि शिक्षण – सीखने की प्रक्रिया प्रभावी है और सफल मूल्य आधारित शिक्षा उनका आदर्श वाक्य होना चाहिए।
5. शिक्षकों को कक्षा के अंदर और बाहर दोनों जगह मर्यादा बनाए रखनी चाहिए और छात्रों के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए।

6. शिक्षकों को अन्य शैक्षणिक, सह–पाठ्यचर्या और संगठनात्मक गतिविधियों को करना चाहिए जो उन्हें समय–समय पर सौंपे जा सकते हैं।
7. शिक्षकों को काम के घंटों के अनुसार ड्यूटी पर समय पर रिपोर्ट करना चाहिए और काम के घंटों के दौरान परिसर में उपलब्ध होना चाहिए।
8. आकस्मिक अवकाश का लाभ उठाते समय प्रधानाचार्य से कम से कम एक दिन पहले पूर्व लिखित अनुमति आवश्यक है।
9. स्टाफ सदस्यों को पाठ्य पुस्तकें लिखने, प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित करने और संगोष्ठियों और सम्मेलनों में पत्र प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
10. स्टाफ सदस्यों को अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
11. स्टाफ सदस्यों को भी संकाय विकास कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। उनके ज्ञान को अद्यतन करने के लिए गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम आदि।
12. स्टाफ सदस्यों को उद्योग में व्यावहारिक प्रशिक्षण लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और वे उद्योग संस्थान की बातचीत के हिस्से के रूप में परामर्श कार्य कर सकते हैं।
13. किसी भी शिक्षक को अपनी ओर से नैतिक अधमता के किसी ऐसे कार्य में स्वयं को शामिल नहीं करना चाहिए जिससे संस्थान या प्रबंधन को हानि या बदनामी हो सकती है।
14. किसी भी शिक्षक को परिसर के अंदर या बाहर किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि में खुद को शामिल नहीं करना चाहिए।
15. शिक्षकों को कॉलेज में साफ–सुथरे कपड़े पहनकर आना चाहिए।
16. कोई भी शिक्षक प्राचार्य की अनुमति के बिना कर्मचारियों को पर्चियां बांटने, परिसर में बैठकें आयोजित करने के लिए परिपत्र नहीं भेजेगा।
17. विभागाध्यक्षों को विभाग की समय सारिणी प्राचार्य को प्रस्तुत करनी होगी। किसी भी परिवर्तन की सूचना प्राचार्य को भी दी जानी चाहिए।
18. शिक्षकों को उनकी रुचि के विषय पर शोध करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
19. शिक्षकों के विभाग में उपस्थित होने की आशा है। अकादमिक संघ की बैठकें, सेमिनार आदि और कॉलेज के कार्य दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह भी।
20. प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और अन्य कैरियर उन्मुख कार्यक्रमों के छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं लेने के लिए शिक्षकों से स्वैच्छिक रूप से अपेक्षा की जाती है।
21. विभाग को साफ–सुथरा रखने के लिए गैर–शिक्षण कर्मचारियों से काम निकालने के लिए विभागाध्यक्ष जिम्मेदार हैं।

प्राचार्य के लिए आचार संहिता

10. प्राचार्य के लिए आचार संहिता

महाविद्यालय के प्राचार्य को बहुमुखी भूमिकाएं निभानी होती हैं और महाविद्यालय में छात्रों, शिक्षकों, गैर–शिक्षण कर्मचारियों को बनाए रखने, सुरक्षा, रख–रखाव, नियंत्रण, प्रबंधन, निर्णय, बचाव, प्रेरणा और प्रेरित करने की संयुक्त जिम्मेदारियां होती हैं। चूंकि प्राचार्य महाविद्यालय के अकादमिक और प्रशासनिक प्रमुख हैं, इसलिए उनके आचरण में नैतिकता के कुछ कोड यूजीसी द्वारा एमएचआरडी (बाद में मंत्रालय के रूप में संदर्भित) के दिशानिर्देशों के साथ–साथ छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नियमों और विनियमों के अनुसार तय किए गए हैं। शासकीय महाविद्यालय गुरुर (बाद में महाविद्यालय के रूप में संदर्भित) के प्राचार्य पर लागू होने वाली मुख्य और महत्वपूर्ण आचार संहिता नीचे दी गई है:

1. महाविद्यालय में शिक्षा प्रदान करने के संबंध में समावेशी संस्कृति को प्रोत्साहित एवं संरक्षित करना।

2. महाविद्यालय के सभी वर्गों के संयुक्त सरोकारों को संरक्षण देना ताकि वे अनारक्षित रूप से प्रदर्शन कर सकें और संगठन के विकास के लिए अपना अधिकतम योगदान दे सकें।
3. बिना किसी भेदभाव के महाविद्यालय के सभी वर्गों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करना।
4. महाविद्यालय के सभी वर्गों के लिए उनकी जाति, पंथ, नस्ल, लिंग और धार्मिक पहचान के बावजूद सामाजिक अखंडता की भावना को बनाए रखना।
5. महाविद्यालय में एक पक्षपात रहित जेंडर न्यूट्रल वातावरण का निर्माण और उसे कायम रखना ताकि जेंडर को समान अवसर प्राप्त हो सकें।
6. महाविद्यालय के सभी वर्गों के बीच अपेक्षित सतर्कता पैदा करना और बनाए रखना ताकि यौन उत्पीड़न की संभावना कम से कम हो और अंततः समाप्त हो जाए।
7. महाविद्यालय से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े मानव संसाधन के सभी वर्गों में कल्याण की भावना उत्पन्न करना और उनमें परस्पर विश्वास विकसित करना।
8. शैक्षणिक गतिविधियों के नए रास्ते तलाशने के लिए कॉलेज में विद्वतापूर्ण गतिविधियों को संरक्षित और प्रोत्साहित करना।
9. महाविद्यालय में अपने ज्ञान के पूल को बढ़ाने के लिए अनुसंधान उन्मुख शैक्षणिक गतिविधियों के लिए अनुकूल माहौल का निर्माण करना।
10. महाविद्यालय के सभी वर्गों के आचरण और व्यवहार में अनुशासन लागू करना और शिक्षाविदों के लिए आवश्यक परिसर–शांति को बनाए रखना।
11. सामाजिक गतिशीलता और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए कॉलेज के छात्रों के बीच पाठ्येतर गतिविधियों के अभ्यास को प्रोत्साहित करना और जारी रखना।
12. महाविद्यालय के परिवेश की शांति बनाए रखने का प्रयास करना ताकि शैक्षिक मूल्य धीरे–धीरे और अंततः सर्वोत्तम शैक्षणिक प्रथाओं के लिए प्रबल हो सकें।
13. महाविद्यालय के निकटवर्ती समाजों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना और बनाए रखना ताकि महाविद्यालय के सभी छात्रों के प्राकृतिक विकास को सुनिश्चित किया जा सके।
14. महाविद्यालय के सभी वर्गों के उत्साह को बनाए रखने के लिए प्रयास करना ताकि उनकी क्षमताओं का पोषण और वृद्धि हो सके।

महाविद्यालय के अकादमिक प्रमुख के रूप में, प्राचार्य को महाविद्यालय के भीतर एक अकादमिक माहौल जारी रखना सुनिश्चित करना चाहिए और शोध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। प्राचार्य को महाविद्यालय के लिए पर्याप्त ढांचागत और वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। प्राचार्य को महाविद्यालय के शिक्षकों को अनुसंधान परियोजनाओं को शुरू करने, शोध पत्र प्रकाशित करने, सेमिनारों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं की व्यवस्था करने और उनमें भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

गैर–शिक्षण कर्मचारियों के लिए आचार संहिता

11.1 गैर–शिक्षण कर्मचारियों के लिए आचार संहिता

1. महाविद्यालय कार्यालय या विभागों में कार्यरत गैर–शिक्षण कर्मचारियों को कार्य समय के दौरान ड्यूटी पर रहना चाहिए।
2. प्रयोगशालाओं को सौंपे गए गैर–शिक्षण कर्मचारियों को प्रयोगशालाओं को साफ रखना चाहिए।
3. लैब या कक्षा में किसी भी वस्तु के नुकसान या क्षति की सूचना तुरंत विभागाध्यक्ष को लिखित रूप में दी जानी चाहिए।

4. प्रयोगशाला में कार्यरत गैर–शिक्षण कर्मचारी सभी वस्तुओं, उपकरणों, रसायनों आदि के लिए एक स्टॉक रजिस्टर बनाए रखेंगे। इसे विभागाध्यक्ष और प्राचार्य को प्रस्तुत किया जाएगा और उनके हस्ताक्षर प्राप्त किए जाएंगे।
5. गैर–शिक्षण कर्मचारी, जिन अधिकारियों से वे जुड़े हुए हैं, उनके निर्देशानुसार अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे।
6. गैर–शिक्षण कर्मचारी काम के घंटों के दौरान बिना अनुमति के महाविद्यालय परिसर से बाहर नहीं जाएंगे।
7. गैर–शिक्षण कर्मचारियों को महाविद्यालय की नीतियों से परिचित होना चाहिए और उनकी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार उनका पालन करना चाहिए।
8. प्रत्येक गैर–शिक्षण कर्मचारी को उन्हें सौंपे गए कर्तव्यों का ईमानदारी और लगन के साथ–साथ जवाबदेही के साथ पालन करना चाहिए।
9. गैर–शिक्षण कर्मचारियों को अपने रिपोर्टिंग अधिकारी को पूर्व सूचना के साथ छुट्टी का लाभ उठाना चाहिए। आकस्मिक आकस्मिकता की स्थिति में उनकी अनुपस्थिति की सूचना अविलम्ब महाविद्यालय प्राधिकार को प्रेषित की जाये।
10. गैर–शिक्षण कर्मचारियों को, किसी भी कारण से, निर्धारित कार्यालय समय के भीतर कोई अन्य कार्य नहीं करना चाहिए। न ही वह महाविद्यालय परिसर के भीतर किसी व्यापार या व्यवसाय में स्वयं को संलग्न करेगा।
11. गैर–शिक्षण कर्मचारी, स्वयं को राजनीतिक या धर्म–विरोधी गतिविधियों में शामिल करके महाविद्यालय के कामकाज में बाधा नहीं डालेंगे।
12. गैर–शिक्षण कर्मचारियों को ऐसी टिप्पणियों या व्यवहार में शामिल नहीं होना चाहिए जो उनके शिक्षण सहयोगियों या छात्रों के लिए अपमानजनक हो सकते हैं।

11.2 कार्यस्थल आचरण

13. गैर–शिक्षण कर्मचारियों को समय का पाबंद होना चाहिए क्योंकि महाविद्यालय की गतिविधियों को शुरू करने और सुचारू रूप से चलाने के लिए उनकी पूर्व उपस्थिति प्रतिदिन आवश्यक है।
14. गैर–शिक्षण कर्मचारियों को भी महाविद्यालय के उपकरणों और फर्नीचर के उचित उपयोग और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।
15. गैर–शिक्षण कर्मचारी महाविद्यालय परिसर या कार्यालय समय के दौरान नशीली दवाओं या शराब के प्रभाव में नहीं होना चाहिए।
16. गैर–शिक्षण कर्मचारियों को अक्सर आधिकारिक रिकॉर्ड के माध्यम से परीक्षा मामलों और अन्य कर्मचारियों से संबंधित अन्य मामलों के बारे में गोपनीय जानकारी तक पहुंच होती है। उम्मीद की जाती है कि वे ऐसे मामलों की गोपनीयता का सम्मान करते हैं।
17. गैर–शिक्षण कर्मचारियों को अपने कर्तव्यों का पालन ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के साथ करना चाहिए। उन्हें सौंपे गए आधिकारिक दस्तावेजों का कोई मिथ्याकरण नहीं होना चाहिए।
18. गैर–शिक्षण कर्मचारियों को लिंग, जाति या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं दिखाना चाहिए।

11.3 व्यावसायिक संबंध

19. गैर–शिक्षण कर्मचारियों और छात्रों के बीच बातचीत अक्सर होती है, उदाहरण के लिए परामर्श, प्रवेश, वित्तीय सहायता परीक्षाओं के संवितरण आदि के दौरान। छात्र नियमित रूप से कार्यालयों, पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं में गैर–शिक्षण कर्मचारियों के संपर्क में आते हैं, यह अपेक्षा की जाती है कि वे छात्रों के प्रति सहायक, मैत्रीपूर्ण और धैर्यवान व्यवहार करें।

20. गैर–शिक्षण कर्मचारियों को महाविद्यालय के अधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णयों का उचित सम्मान करना चाहिए। विवाद के किसी भी मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए न कि विरोधी व्यवहार से।
21. गैर–शिक्षण कर्मचारियों को शिक्षण स्टाफ को अपने सहयोगी के रूप में मानना चाहिए न कि अलग–अलग संस्थाओं के रूप में। यह साझा कामकाज है जो एक सामंजस्यपूर्ण वातावरण उत्पन्न करेगा।
22. गैर–शिक्षण कर्मचारी परीक्षा के दौरान छात्रों के अभिभावकों के संपर्क में सबसे पहले आते हैं। उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका व्यवहार कॉलेज के व्यवहार को प्रतिबिंबित करने वाला माना जाएगा। इस प्रकार उन्हें धैर्यपूर्वक बातचीत करनी चाहिए और छात्रों और उनके माता–पिता के साथ सहयोग करना चाहिए।

REFERNCES-

1. Handbook of Conduct of Govt. D.R.W.W. Patankar Girls P.G. College Durg. (C.G.)
2. http://deanofstudents.ucsc.edu/student-conduct/student-handbook/pdf/120.0-policystudent-participation-governance.pdf
3. http://www.admin.com.ac.uk/univ/plagiarism/
4. http://www.aresearchguide.com/6plagiar.html
5. https://www.indiana.edu/~tedfrick/plagiarism
6. http://web.mit.edu/academicintegrity/
7. http://www.northwestern.edu/provost/students/integrity/
8. http://www.scientificvalues.org/cases.html
9. IISC students Code of Conduct PDF
10. Code of Conduct, Taki Govt College, West Bengal, India.

Co-ordinator
IQAC
Government College Gurur
Dist. Balod (C.G.)

Government College Gurur Distt. Balod (C.G.)

Principal
Government College Gurur
Dist. Balod (C.G.)